

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोकसभा

अतारंकित प्रश्नसंख्या-244

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का पुनरुद्धार

244. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योतियोजना' की क्षमता में सुधा रहे तु इसके अनुदान और कार्यान्वयन पैटर्न का पुनरुद्धार करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में कितनी मदद मिलेगी ?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीपीयूषगोयल)

(क) से (ग) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का वर्तमान वित्तपोषण तथा निष्पादन पैटर्न इस प्रकार है:-

एजेंसी	सहायता का प्रकार	सहायता की मात्रा (परियोजना लागत की प्रतिशतता)	
		विशेष श्रेणी वाले राज्यों से भिन्न राज्य	विशेष श्रेणी के राज्य#
भारत सरकार	अनुदान	60	85
डिस्कॉम योगदान	स्वयं की निधि	10	5
लैंडर (वित्तीय संस्थान/बैंक)	ऋण	30	10
निर्धारित लक्ष्यों के पूरा होने पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान	अनुदान	कुल ऋण घटक (30%) का 50% अर्थात् 15%	कुल ऋण घटक (10%) का 50% अर्थात् 5%
भारत सरकार द्वारा अधिकतम	अनुदान	75%	90%

अनुदान (निर्धारित लक्ष्यों के पूरा होने पर अतिरिक्त अनुदान सहित)			
--	--	--	--

#विशेष श्रेणी वाले राज्य (सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड)

स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान (अर्थात् ऋण घटक के 50% का परिवर्तन) निम्नलिखित लक्ष्यों के पूरा होने के अध्यधीन है:-

- (i) निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार स्कीम को समय पर पूरा करना।
- (ii) विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों (डिस्कॉम-वार) से परामर्श करके अंतिम रूप दिए गए ट्रेजेक्ट्री, के अनुसार एटी एंड सी हानियों में कमी।
- (iii) मीटरीकृत खपत के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य राजस्व सब्सिडीका अपफ्रंट जारी करना।

"डीडीयूजीजेवाई" का वित्तपोषण एवं निष्पादन पैटर्न स्थूल रूप से सुचारू बनाया गया है।

(घ) :इस स्कीम में फीडर पृथक्करण, मीटरिंग तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सहित उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार, इस स्कीम से ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

\*\*\*\*\*

भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-250

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

केरलराज्यको आर्थिक सहायता

250. श्री पी. के. बिजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, केरल सरकार को राज्य की ऊर्जा जरूरतों में सुधार या उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता दे रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिसके तहत सरकार केरल राज्य सरकार को आर्थिक सहायता या अन्य सहायता दे रही है/ देने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हां, भारत सरकार (जीओआई) राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुधारने या वृद्धि करने के लिए केरल को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत मंजूर परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

- (i) समाहित पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) सहित एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत, केरल राज्य में यूटिलिटीयों को 1976.28 करोड़ रुपए के मूल्य की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और अब तक 327.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
- (ii) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, भारत सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए अगस्त, 2015 में केरल राज्य के लिए 485.35 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाली 14 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है।
- (iii) विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के अंतर्गत, भारत सरकार ने सब-स्टेशनों की सुरक्षा प्रणाली के नवीकरण एवं उन्नयन के लिए 97.90 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है।

\*\*\*\*\*

भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-256

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

विद्युतकीमांगऔरआपूर्ति

256. श्रीरवीन्द्रकुमारजेना:

श्रीसिराजुद्दीनअजमल:

क्या विद्युतमंत्रि यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान विद्युत का उत्पादन कम हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान व्यस्ततम और गैर व्यस्ततम अवधि के लिए अलग विद्युत की अखिल भारतीय और राज्य-वार मांग और आपूर्ति का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अखिल भारतीय और राज्य-वार पारेषण और वितरण हानियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत का अखिल भारतीय और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त सूचकों की दृष्टि से वैश्विक औसत और विश्व के अन्य विकसित विकासशील देशों से तुलना करने पर हमारे देश का कार्यनिष्पादन कैसा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीपीयूषगोयल)

(क): जी, नहीं। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन अधिक था। अप्रैल से सितम्बर, 2016 के दौरान नवीकरणीय स्रोतों सहित विद्युत उत्पादन विगत वर्ष की उसी अवधि के दौरान 593.68 बीयू की तुलना में लगभग 632.11 बीयू था जो 6.5% की वृद्धि दर्शाता है।

(ख): व्यस्ततम अवधि के दौरान अखिल भारत और राज्यवार वार्षिक विद्युत की मांग और आपूर्ति तथा ऊर्जा की आवश्यकता और उपलब्धता, जिसमें विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में व्यस्ततम अवधि के साथ-साथ गैर-व्यस्ततम अवधि भी शामिल है, के ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(ग) : देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान पारंपरिक स्रोतों से लगभग 88,928.2 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि 31 अक्टूबर, 2016 तक तथा नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 21,128 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि 30 सितम्बर, 2016 तक हासिल की गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति में लगभग 6.2% की वृद्धि हुई है।
- (iii) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान 31 अक्टूबर, 2016 तक 1,00,468 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें तथा 2,88,458 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता पूरी की गई है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों की साझेदारी से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु पहल की है।
- (v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं भरोसेमंद आपूर्ति करने तथा लाइनों की हानियों को कम करने हेतु कृषि फीडरों को पृथक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना नामक दो नई योजनाओं की शुरुआत की गई है।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन हेतु कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉम के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय बदलाव के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति संबंधी मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।
- (ix) भारत सरकार ने स्ट्रैंडिड गैस आधारित उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता देकर एक योजना की शुरुआत की है।

(घ) : वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान राज्यों द्वारा दर्ज रिपोर्टों के अनुसार अखिल भारत और राज्य-वार वार्षिक टीएण्डडी हानियों के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ङ) : विगत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारत और राज्यवार प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

(च) : विभिन्न विकसित और विकासशील देशों के साथ भारत के प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के तुलनात्मक विवरण **अनुबंध-IV(क)** और **अनुबंध-IV (ख)** में दिए गए हैं। विभिन्न विकसित और विकासशील देशों की टीएण्डडी हानियां **अनुबंध-V** में दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 256 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

अप्रैल-अक्तूबर, 2016 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति\*

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम आवश्यकता	व्यस्ततम उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,135	1,135	0	0	361	361	0	0
दिल्ली	21,666	21,639	-27	-0.1	6,342	6,261	-81	-1.3
हरियाणा	32,179	32,179	0	0.0	9,262	9,262	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	5,142	5,113	-29	-0.6	1,342	1,342	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	9,737	7,929	-1,808	-18.6	2,480	2,102	-378	-15.2
पंजाब	37,557	37,557	0	0.0	11,408	11,408	0	0.0
राजस्थान	38,538	38,351	-187	-0.5	9,906	9,906	0	0.0
उत्तर प्रदेश	65,677	64,217	-1,460	-2.2	17,183	15,501	-1,682	-9.8
उत्तराखंड	7,943	7,899	-44	-0.6	2,020	1,972	-48	-2.4
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>219,575</b>	<b>216,020</b>	<b>-3,555</b>	<b>-1.6</b>	<b>53,372</b>	<b>52,612</b>	<b>-760</b>	<b>-1.4</b>
छत्तीसगढ़	14,724	14,671	-53	-0.4	3,875	3,851	-25	-0.6
गुजरात	62,059	62,059	0	0.0	14,724	14,708	-16	-0.1
मध्य प्रदेश	35,799	35,798	-1	0.0	8,832	8,832	0	0.0
महाराष्ट्र	80,875	80,838	-37	0.0	20,499	20,462	-37	-0.2
दमन व दीव	1,434	1,434	0	0.0	327	327	0	0.0
दादर व नागर हवेली	3,620	3,620	0	0.0	784	784	0	0.0
गोवा	2,857	2,855	-2	-0.1	497	496	-1	-0.3
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>201,368</b>	<b>201,278</b>	<b>-90</b>	<b>0.0</b>	<b>46,123</b>	<b>46,090</b>	<b>-33</b>	<b>-0.1</b>
आंध्र प्रदेश	31,471	31,435	-36	-0.1	7,969	7,965	-4	-0.1
तेलंगाना	29,538	29,532	-6	0.0	8,284	8,284	0	0.0
कर्नाटक	37,114	36,828	-286	-0.8	9,980	9,567	-413	-4.1
केरल	14,107	14,084	-23	-0.2	4,132	3,996	-135	-3.3
तमिलनाडु	63,324	63,313	-11	0.0	14,823	14,823	0	0.0
पुडुचेरी	1,545	1,544	-1	-0.1	371	368	-3	-0.7
लक्षद्वीप#	28	28	0	0	8	8	0	0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>177,100</b>	<b>176,734</b>	<b>-366</b>	<b>-0.2</b>	<b>41,298</b>	<b>41,259</b>	<b>-39</b>	<b>-0.1</b>
बिहार	16,025	15,766	-259	-1.6	3,843	3,638	-205	-5.3
झीवीसी	10,829	10,775	-54	-0.5	2,686	2,686	0	0.0
झारखंड	4,673	4,662	-11	-0.2	1,498	1,498	0	0.0
ओडिशा	16,243	16,241	-2	0.0	4,012	4,012	0	0.0
पश्चिम बंगाल	30,916	30,813	-103	-0.3	7,881	7,881	0	0.0
सिक्किम	270	270	0	0.0	153	112	-41	-26.8
अंडमान-निकोबार#	140	105	-35	-25	40	32	-8	-20
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>78,958</b>	<b>78,527</b>	<b>-431</b>	<b>-0.5</b>	<b>18,642</b>	<b>18,596</b>	<b>-46</b>	<b>-0.2</b>
अरुणाचल प्रदेश	407	397	-10	-2.5	148	140	-8	-5.4
असम	5,730	5,481	-249	-4.3	1,673	1,633	-40	-2.4
मणिपुर	418	399	-19	-4.5	152	151	-1	-0.7
मेघालय	970	970	0	0.0	311	311	0	0.0
मिजोरम	278	270	-8	-2.9	95	95	0	0.0
नागालैंड	438	429	-9	-2.1	130	130	0	0.0
त्रिपुरा	861	845	-16	-1.9	284	284	0	0.0
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>9,099</b>	<b>8,785</b>	<b>-314</b>	<b>-3.5</b>	<b>2,487</b>	<b>2,475</b>	<b>-12</b>	<b>-0.5</b>
<b>अखिल भारत</b>	<b>686,099</b>	<b>681,346</b>	<b>-4,753</b>	<b>-0.7</b>	<b>159,542</b>	<b>156,934</b>	<b>-2,608</b>	<b>-1.6</b>

# लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

\* अक्तूबर 2016- अंतिम आंकड़े

## 2015-16 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम आवश्यकता	व्यस्ततम उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,607	1,607	0	0	342	342	0	0
दिल्ली	29,626	29,583	-43	-0.1	5,846	5,846	0	0.0
हरियाणा	47,506	47,437	-69	-0.1	9,113	9,113	0	0.0
हिमाचलप्रदेश	8,821	8,758	-63	-0.7	1,488	1,488	0	0.0
जम्मूकश्मीर	16,572	14,037	-2,535	-15.3	2,544	2,158	-386	-15.2
पंजाब	49,687	49,675	-12	0.0	10,852	10,852	0	0.0
राजस्थान	67,417	67,205	-212	-0.3	10,961	10,961	0	0.0
उत्तरप्रदेश	106,351	93,033	-13,318	-12.5	16,988	14,503	-2,485	-14.6
उत्तराखंड	12,889	12,675	-214	-1.7	2,034	2,034	0	0.0
<b>उत्तरीक्षेत्र</b>	<b>340,476</b>	<b>324,009</b>	<b>-16,467</b>	<b>-4.8</b>	<b>54,474</b>	<b>50,622</b>	<b>-3,852</b>	<b>-7.1</b>
छत्तीसगढ़	25,649	25,309	-340	-1.3	3,932	3,757	-175	-4.5
गुजरात	103,544	103,540	-4	0.0	14,495	14,448	-47	-0.3
मध्यप्रदेश	62,374	62,374	0	0.0	10,902	10,902	0	0.0
महाराष्ट्र	141,817	141,361	-456	-0.3	20,973	20,594	-379	-1.8
दमनवदीव	2,337	2,337	0	0.0	307	307	0	0.0
दादरवनागरहवेली	5,925	5,925	0	0.0	740	740	0	0.0
गोवा	5,120	5,119	-1	0.0	583	552	-31	-5.3
<b>पश्चिमीक्षेत्र</b>	<b>346,768</b>	<b>345,966</b>	<b>-802</b>	<b>-0.2</b>	<b>48,640</b>	<b>48,199</b>	<b>-441</b>	<b>-0.9</b>
आंध्रप्रदेश	50,436	50,366	-70	-0.1	7,400	7,391	-9	-0.1
तेलंगाना	50,254	49,948	-306	-0.6	6,854	6,849	-5	-0.1
कर्नाटक	64,302	60,971	-3,331	-5.2	10,202	9,508	-694	-6.8
केरल	23,318	23,194	-124	-0.5	3,977	3,856	-121	-3.1
तमिलनाडु	97,276	96,586	-690	-0.7	14,190	14,171	-19	-0.1
पुडुचेरी	2,437	2,429	-8	-0.3	368	352	-16	-4.3
लक्षद्वीप	48	48	0	0	8	8	0	0
<b>दक्षिणीक्षेत्र</b>	<b>288,025</b>	<b>283,494</b>	<b>-4,531</b>	<b>-1.6</b>	<b>40,030</b>	<b>39,875</b>	<b>-155</b>	<b>-0.4</b>
बिहार	23,961	23,659	-302	-1.3	3,735	3,484	-251	-6.7
डीवीसी	18,437	18,234	-203	-1.1	2,814	2,794	-20	-0.7
झारखंड	7,735	7,561	-174	-2.2	1,153	1,153	0	0.0
ओडिशा	26,762	26,600	-162	-0.6	4,091	4,091	0	0.0
पश्चिमबंगाल	47,359	47,194	-165	-0.3	7,905	7,885	-20	-0.3
सिक्किम	399	399	0	0.0	109	109	0	0.0
अंडमान-निकोबार	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
<b>पूर्वीक्षेत्र</b>	<b>124,654</b>	<b>123,646</b>	<b>-1,008</b>	<b>-0.8</b>	<b>18,169</b>	<b>18,056</b>	<b>-113</b>	<b>-0.6</b>
अरुणाचलप्रदेश	626	591	-35	-5.6	139	135	-4	-2.9
असम	8,762	8,272	-490	-5.6	1,491	1,378	-113	-7.6
मणिपुर	840	810	-30	-3.6	168	167	-1	-0.6
मेघालय	1,833	1,725	-108	-5.9	400	377	-23	-5.8
मिजोरम	471	455	-16	-3.4	102	101	-1	-1.0
नागालैंड	755	739	-16	-2.1	140	138	-2	-1.4
त्रिपुरा	1,202	1,146	-56	-4.7	300	269	-31	-10.3
<b>पूर्वोत्तरक्षेत्र</b>	<b>14,488</b>	<b>13,735</b>	<b>-753</b>	<b>-5.2</b>	<b>2,573</b>	<b>2,367</b>	<b>-206</b>	<b>-8.0</b>
<b>अखिलभारत</b>	<b>1,114,408</b>	<b>1,090,850</b>	<b>-23,558</b>	<b>-2.1</b>	<b>153,366</b>	<b>148,463</b>	<b>-4,903</b>	<b>-3.2</b>

## 2014-15 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम आवश्यकता	व्यस्ततम उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,616	1,616	0	0	367	367	0	0
दिल्ली	29,231	29,106	-125	-0.4	6,006	5,925	-81	-1.3
हरियाणा	46,615	46,432	-183	-0.4	9,152	9,152	0	0.0
हिमाचलप्रदेश	8,807	8,728	-79	-0.9	1,422	1,422	0	0.0
जम्मूकश्मीर	16,214	13,119	-3,095	-19.1	2,554	2,043	-511	-20.0
पंजाब	48,629	48,144	-485	-1.0	11,534	10,023	-1,511	-13.1
राजस्थान	65,717	65,310	-407	-0.6	10,642	10,642	0	0.0
उत्तरप्रदेश	103,179	87,062	-16,117	-15.6	15,670	13,003	-2,667	-17.0
उत्तराखंड	12,445	12,072	-373	-3.0	1,930	1,930	0	0.0
<b>उत्तरीक्षेत्र</b>	<b>332,453</b>	<b>311,589</b>	<b>-20,864</b>	<b>-6.3</b>	<b>51,977</b>	<b>47,642</b>	<b>-4,335</b>	<b>-8.3</b>
छत्तीसगढ़	21,499	21,230	-269	-1.3	3,817	3,638	-179	-4.7
गुजरात	96,235	96,211	-24	0.0	13,603	13,499	-104	-0.8
मध्यप्रदेश	53,374	53,082	-292	-0.5	9,755	9,717	-38	-0.4
महाराष्ट्र	134,897	133,078	-1,819	-1.3	20,147	19,804	-343	-1.7
दमनवदीव	2,086	2,086	0	0.0	301	301	0	0.0
दादरवनागरहवेली	5,307	5,304	-3	-0.1	714	714	0	0.0
गोवा	3,969	3,932	-37	-0.9	501	489	-12	-2.4
<b>पश्चिमीक्षेत्र</b>	<b>317,367</b>	<b>314,923</b>	<b>-2,444</b>	<b>-0.8</b>	<b>44,166</b>	<b>43,145</b>	<b>-1,021</b>	<b>-2.3</b>
आंध्रप्रदेश	59,198	56,313	-2,885	-4.9	7,144	6,784	-360	-5.0
तेलंगाना	43,337	40,644	-2,693	-6.2	7,884	6,755	-1,129	-14.3
कर्नाटक	62,643	59,926	-2,717	-4.3	10,001	9,549	-452	-4.5
केरल	22,459	22,127	-332	-1.5	3,760	3,594	-166	-4.4
तमिलनाडु	95,758	92,750	-3,008	-3.1	13,707	13,498	-209	-1.5
पुडुचेरी	2,402	2,376	-26	-1.1	389	348	-41	-10.5
लक्षद्वीप	48	48	0	0	8	8	0	0
<b>दक्षिणीक्षेत्र</b>	<b>285,797</b>	<b>274,136</b>	<b>-11,661</b>	<b>-4.1</b>	<b>39,094</b>	<b>37,047</b>	<b>-2,047</b>	<b>-5.2</b>
बिहार	19,294	18,759	-535	-2.8	2,994	2,874	-120	-4.0
डीवीसी	18,222	17,728	-494	-2.7	2,653	2,590	-63	-2.4
झारखंड	7,599	7,390	-209	-2.8	1,075	1,055	-20	-1.9
ओडिशा	26,482	26,052	-430	-1.6	3,920	3,892	-28	-0.7
पश्चिमबंगाल	47,086	46,827	-259	-0.6	7,544	7,524	-20	-0.3
सिक्किम	399	399	0	0.0	83	83	0	0.0
अंडमान-निकोबार	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
<b>पूर्वीक्षेत्र</b>	<b>119,082</b>	<b>117,155</b>	<b>-1,927</b>	<b>-1.6</b>	<b>17,040</b>	<b>16,932</b>	<b>-108</b>	<b>-0.6</b>
अरुणाचलप्रदेश	677	610	-67	-9.9	139	126	-13	-9.4
असम	8,527	7,926	-601	-7.0	1,450	1,257	-193	-13.3
मणिपुर	705	678	-27	-3.8	150	146	-4	-2.7
मेघालय	1,930	1,634	-296	-15.3	370	367	-3	-0.8
मिजोरम	455	425	-30	-6.6	90	88	-2	-2.2
नागालैंड	688	661	-27	-3.9	140	128	-12	-8.6
त्रिपुरा	1,242	1,048	-194	-15.6	310	266	-44	-14.2
<b>पूर्वोत्तरक्षेत्र</b>	<b>14,224</b>	<b>12,982</b>	<b>-1,242</b>	<b>-8.7</b>	<b>2,528</b>	<b>2,202</b>	<b>-326</b>	<b>-12.9</b>
<b>अखिलभारत</b>	<b>1,068,923</b>	<b>1,030,785</b>	<b>-38,138</b>	<b>-3.6</b>	<b>148,166</b>	<b>141,160</b>	<b>-7,006</b>	<b>-4.7</b>



**2013-14 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति**

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम आवश्यकता	व्यस्ततम उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,574	1,574	0	0	345	345	0	0
दिल्ली	26,867	26,791	-76	-0.3	6,035	5,653	-382	-6.3
हरियाणा	43,463	43,213	-250	-0.6	8,114	8,114	0	0.0
हिमाचलप्रदेश	9,089	8,883	-206	-2.3	1,561	1,392	-169	-10.8
जम्मूकश्मीर	15,613	12,187	-3,426	-21.9	2,500	1,998	-502	-20.1
पंजाब	47,821	47,084	-737	-1.5	10,089	8,733	-1,356	-13.4
राजस्थान	58,202	58,042	-160	-0.3	10,047	10,038	-9	-0.1
उत्तरप्रदेश	94,890	81,613	-13,277	-14.0	13,089	12,327	-762	-5.8
उत्तराखंड	11,944	11,493	-451	-3.8	1,826	1,826	0	0.0
<b>उत्तरीक्षेत्र</b>	<b>309,463</b>	<b>290,880</b>	<b>-18,583</b>	<b>-6.0</b>	<b>45,934</b>	<b>42,774</b>	<b>-3,160</b>	<b>-6.9</b>
छत्तीसगढ़	18,932	18,800	-132	-0.7	3,365	3,320	-45	-1.3
गुजरात	88,497	88,488	-9	0.0	12,201	12,201	0	0.0
मध्यप्रदेश	49,410	49,385	-25	-0.1	9,716	9,716	0	0.0
महाराष्ट्र	126,288	123,672	-2,616	-2.1	19,276	17,621	-1,655	-8.6
दमनवदीव	2,252	2,252	0	0.0	322	297	-25	-7.8
दादरवनागरहवेली	5,390	5,388	-2	0.0	661	661	0	0.0
गोवा	3,890	3,871	-19	-0.5	529	529	0	0.0
<b>पश्चिमीक्षेत्र</b>	<b>294,659</b>	<b>291,856</b>	<b>-2,803</b>	<b>-1.0</b>	<b>41,335</b>	<b>40,331</b>	<b>-1,004</b>	<b>-2.4</b>
आंध्रप्रदेश	95,662	89,036	-6,626	-6.9	14,072	13,162	-910	-6.5
कर्नाटक	64,150	58,052	-6,098	-9.5	9,940	9,223	-717	-7.2
केरल	21,577	21,052	-525	-2.4	3,671	3,573	-98	-2.7
तमिलनाडु	93,508	87,980	-5,528	-5.9	13,522	12,492	-1,030	-7.6
पुडुचेरी	2,344	2,320	-24	-1.0	351	333	-18	-5.1
लक्षद्वीप#	48	48	0	0	9	9	0	0
<b>दक्षिणीक्षेत्र</b>	<b>277,245</b>	<b>258,444</b>	<b>-18,801</b>	<b>-6.8</b>	<b>39,015</b>	<b>36,048</b>	<b>-2,967</b>	<b>-7.6</b>
बिहार	15,391	14,759	-632	-4.1	2,465	2,312	-153	-6.2
डीवीसी	17,407	17,296	-111	-0.6	2,745	2,745	0	0.0
झारखंड	7,143	7,007	-136	-1.9	1,111	1,069	-42	-3.8
ओडिशा	24,958	24,546	-412	-1.7	3,727	3,722	-5	-0.1
पश्चिमबंगाल	42,891	42,762	-129	-0.3	7,325	7,294	-31	-0.4
सिक्किम	413	413	0	0.0	90	90	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
<b>पूर्वीक्षेत्र</b>	<b>108,203</b>	<b>106,783</b>	<b>-1,420</b>	<b>-1.3</b>	<b>15,888</b>	<b>15,598</b>	<b>-290</b>	<b>-1.8</b>
अरुणाचलप्रदेश	552	517	-35	-6.3	125	124	-1	-0.8
असम	7,544	7,062	-482	-6.4	1,329	1,220	-109	-8.2
मणिपुर	579	548	-31	-5.4	134	133	-1	-0.7
मेघालय	1,794	1,604	-190	-10.6	343	330	-13	-3.8
मिजोरम	446	430	-16	-3.6	84	82	-2	-2.4
नागालैंड	577	561	-16	-2.8	109	106	-3	-2.8
त्रिपुरा	1,195	1,144	-51	-4.3	254	250	-4	-1.6
<b>पूर्वोत्तरक्षेत्र</b>	<b>12,687</b>	<b>11,866</b>	<b>-821</b>	<b>-6.5</b>	<b>2,164</b>	<b>2,048</b>	<b>-116</b>	<b>-5.4</b>
<b>अखिलभारत</b>	<b>1,002,257</b>	<b>959,829</b>	<b>-42,428</b>	<b>-4.2</b>	<b>135,918</b>	<b>129,815</b>	<b>-6,103</b>	<b>-4.5</b>

# लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार एकल प्रणाली हैं, इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

टिप्पणी : व्यस्ततमआपूर्तिऔरऊर्जाउपलब्धतादोनोंविभिन्नराज्योंमेंनिवलखपत (पारेषणहानियाँसहित) कोदर्शातेहैं।निवलआयातकीगणनाआयातकीखपतकेलिएकीगईहै।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 256 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**2012-13 से 2014-15 तक अखिल भारत और राज्य-वार वार्षिक टीएंडडी हानियां**

क्षेत्र		राज्य/यूटी	2012-13	2013-14	2014-15
एनआर	1	हरियाणा	35.95	35.83	34.05
	2	हिमाचल प्रदेश	19.14	21.03	20.81
	3	जम्मू व कश्मीर	56.63	54.68	53.06
	4	पंजाब	20.3	20.67	18.45
	5	राजस्थान	24.93	26.92	27.51
	6	उत्तर प्रदेश	26.88	29.07	27.19
	7	उत्तराखंड	26.93	21.82	24.53
डब्ल्यूआर	8	चंडीगढ़	19.32	19.12	19.1
	9	दिल्ली	22.11	19.86	21.49
	1	गुजरात	18.48	18.11	19.28
	2	मध्य प्रदेश	31.45	31.47	32.26
	3	छत्तीसगढ़	28.83	28.38	29.21
	4	महाराष्ट्र	21.82	21.8	20.39
	5	दादर व नागर हवेली	9.86	8.55	10.33
एसआर	6	गोवा	13.35	12.67	14.97
	7	दमन व दीव	15.61	13.77	29.63
	1	आंध्र प्रदेश	19.3	20.06	17.94
	2	कर्नाटक	11.14	10.18	11.5
	3	केरल	17.73	14.99	15.4
	4	तमिलनाडु	14.51	10.84	11.07
	5	लक्षद्वीप	18.6	11.2	3.63
ईआर	6	पुडुचेरी	13.53	14.83	14.9
	1	बिहार	49.42	47.26	46.27
	2	झारखंड	13.58	13.06	17.2
	3	ओडिशा	39.84	38.86	41.96
	4	सिक्किम	28.14	23.11	24.97
	5	पश्चिम बंगाल	24.07	24.05	24.66
	6	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	18.14	19.79	20.5
एनईआर	1	असम	30.68	31.08	27.57
	2	मणिपुर	35.12	38.51	40.95
	3	मेघालय	23.64	21.38	33.34
	4	नागालैंड	40.16	35.79	26.51
	5	त्रिपुरा	31.73	35.35	35.93
	6	अरुणाचल प्रदेश	46	46.3	46.24
	7	मिजोरम	37.79	41.54	42.05
<b>अखिल भारत</b>			<b>23.04</b>	<b>22.84</b>	<b>22.77</b>

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-III**

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 256 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**प्रतिव्यक्ति खपत (किलोवाट घंटा)**

**(केडब्ल्यूएच)**

राज्य/यूटी	2013-14	2014-15	2015-16
चंडीगढ़	1133	1052	1112
दिल्ली	1446	1561	1557
हरियाणा	1773	1909	1936
हिमाचल प्रदेश	1348	1336	1339
जम्मू व कश्मीर	1066	1169	1234
पंजाब	1810	1858	1919
राजस्थान	1011	1123	1164
उत्तर प्रदेश	472	502	524
उत्तराखंड	1285	1358	1431
छत्तीसगढ़	1601	1719	2022
गुजरात	1973	2105	2248
मध्य प्रदेश	764	813	929
महाराष्ट्र	1183	1257	1318
दमन व दीव	8003	6960	7836
दादर व नागर हवेली	14515	13769	15137
गोवा	2198	1803	2738
आंध्र प्रदेश	1196	1040	1230
तेलंगाना		1356	1439
कर्नाटक	1179	1211	1242
केरल	645	672	704
तमिलनाडु	1544	1616	1688
पुडुचेरी	1692	1655	1672
लक्षद्वीप	665	657	649
बिहार	160	203	258
झारखंड	810	835	884
ओडिशा	1349	1419	1564
पश्चिम बंगाल	609	647	660
सिक्किम	700	685	687
अंडमान-निकोबार	368	361	355
अरुणाचल प्रदेश	503	525	600
असम	280	314	322
मणिपुर	266	295	360
मेघालय	684	704	835
मिजोरम	445	449	503
नागालैंड	259	311	346
त्रिपुरा	331	303	329
<b>अखिल भारत</b>	<b>957</b>	<b>1010</b>	<b>1075</b>

टिप्पणी: प्रतिव्यक्ति खपत=(सकल ऊर्जा उत्पादन+निवल आयात)/मध्य वर्ष जनसंख्या।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 256 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

2012 और 2013 में विभिन्न विकसित देशों की प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत

क्रम सं.	प्रतिव्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)		
	देश का नाम	2012	2013
1	कनाडा	15558	15520
2	यूएसए	12947	12987
3	ऑस्ट्रेलिया	10218	10067
4	जापान	7753	7836
5	फ्रांस	7367	7382
6	जर्मनी	7138	7022
7	कोरिया	10346	10428
8	यूके	5452	5409
9	रूस	6602	6562
10	इटली	5277	5124
11	दक्षिण अफ्रीका	4410	4328
12	ब्राजील	2509	2583
13	चीन	3475	3766
14	भारत*	884	914
15	संसार	2972	3026

टिप्पणी :-

आईईए वेबसाइट भारत (छोड़कर) से प्राप्त आधारभूत आंकड़ा।

\* टिप्पणी: प्रतिव्यक्ति खपत=(सकल ऊर्जा उत्पादन+निवल आयात)/मध्य वर्ष जनसंख्या।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 256 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2012 और 2013 के लिए संसार और विकासशील देशों की प्रतिव्यक्ति विद्युत की खपत (केडब्ल्यूएच) को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	देश का नाम	प्रतिव्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच) 2012	प्रतिव्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच) 2013
1	कुवैत	16542	15905
2	संयुक्त अरब अमीरात	10175	10547
3	चाइनीज तैपई	N.A.	10458
4	ब्रूनी द्रशलम	8949	9553
5	सऊदी अरब	8763	9157
6	ओमान	6520	6434
7	मोनटेनेग्रो	5412	5620
8	जिब्रेल्टर	5344	5545
9	कजाखिस्तान	5085	4893
10	नीदरलैंड एटील्स	4891	N.A.
11	सर्बिया	4371	4444
12	मलेशिया	4313	4474
13	मैकेडोनिया का एफवाईआर	3625	3498
14	लीबिया	4805	3963
15	उक्रेन	3641	3600
16	बेलारूस	3698	3648
17	लेबनान	3113	3780
18	वेनेजुएला	3401	3231
19	चीन जन गण के लोग	3475	3766
20	बोसनिया और हर्जगोविना	3271	3214
21	अर्जेंटीना	3027	3175
22	कोसोवो	2860	2908
23	<b>संसार</b>	<b>2972</b>	<b>3026</b>
24	उरुग्वे	2933	2986
25	टर्की	2760	2761
26	ईरान	2752	2888
27	रोमानिया	2602	2495
28	तुकमेनिस्तान	2476	2602
29	ब्राजील	2509	2583
30	जॉर्डन	2357	2350
31	मैक्सिको	2098	2150
32	थाईलैंड	2479	2487
33	अल्बनिया	1943	2532
34	तजाखिस्तान	1732	1662
35	जॉर्जिया	1935	2070
36	पनामा	1943	2007
37	कॉस्टेरिका	1896	1888
38	सीरान अरब जन गण	1169	953
39	अजर्बैजान	2053	2092
40	अर्मेनिया	1838	1880
41	इजिप्ट	1804	1812
42	किर्जिस्तान	1809	1887
43	उजबेकिस्तान	1605	1637
44	बोट्सवाना	1611	1684

45	मंगोलिया	1604	1923
46	जमैका	1198	1126
47	नामीबिया	1614	1641
48	मोलडोवा जन गण	1514	1353
49	क्यूबा	1376	1438
50	ट्यूनीशिया	1411	1435
51	इराक	1483	1817
52	पेरू	1218	1278
53	इक्वाडोर	1276	1327
54	पेराग्वे	1305	1400
55	अल्जीरिया	1203	1244
56	कोलंबिया	1130	1153
57	वियतनाम	1273	1306
58	गबोन	1081	1153
59	डोमिनिसनय जन गण	1455	1499
60	एल. सेल्वाडोर	850	879
61	मोरक्को	888	878
62	<b>भारत</b>	<b>884</b>	<b>914</b>
63	जिम्बाबे	596	560
64	कोरिया की डीपीआर	654	660
65	हॉंडुरस	680	699
66	इंडोनेशिया	733	792
67	फिलीपींस	668	686
68	बोलिविया	646	687
69	जंबिया	600	767
70	ग्वाटेमाला	539	563
71	निकारागुआ	568	585
72	श्रीलंका	527	528
73	मोजांबिक	454	446
74	पाकिस्तान	447	448
75	घाना	348	386
76	कैमरून	262	278
77	बांग्लादेश	280	293
78	अंगोला	239	248
79	कोट डिव्लेयर	255	269
80	सेनेगल	210	221
81	येमेन	177	259
82	कोंगो	180	231
83	कंबोडिया	206	220
84	केन्या	157	165
85	नाइजीरिया	155	141
86	सूडान	159	209
87	म्यांमार	152	164
88	टोगो	147	150
89	कोंगो डेम. जन गण	112	118
90	बेनीन	92	94
91	नेपाल	119	128
92	तंजानिया संयुक्त जन गण	101	91
93	इथोपिया	58	65
94	ऐरीट्रिया	50	49
95	हैती	50	49

स्रोत- उपरोक्त सूचना आईईए की वेबसाइट [www.iea.org](http://www.iea.org) से डाउनलोड की गई है। ऊर्जा सूचक (चयनित सूचक - 2012) भारत के लिए प्रतीक्षित।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 256 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

2012-13 में विभिन्न देशों की टीएंडडी हानियां (%) में

क्रम सं.	देश का नाम	2012	2013
1	कोरिया	3.47	3.47
2	जापान	4.79	4.87
3	जर्मनी	4.46	4.51
4	इटली	6.61	6.87
5	ऑस्ट्रेलिया	5.68	6.69
6	दक्षिण अफ्रीका	10.19	9.88
7	फ्रांस	7.99	7.86
8	चीन	6.56	6.52
9	यूएसए	6.73	6.32
10	कनाडा	8.19	10.40
11	यूके	8.26	7.80
12	रूस	12.59	12.27
13	ब्राजील	16.63	16.11
14	भारत	23.65	23.04
15	विश्व	8.89	8.91

\*\*\*\*\*

भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-257

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

हरित ऊर्जा गलियारे के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

257. श्री बी. सेनगुडुवन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने सरकार के हरित ऊर्जा गलियारा पहल के भाग के रूप में उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों के निर्माण व उन्नयन हेतु एशियाई विकास बैंक से लगभग 1000 मिलियन डॉलर के ऋण की मांग की है;
- (ख) यदि हां, तो ऋण की ठीक-ठीक मात्रा, उसकी प्राप्ति की समय-सारणी, ब्याज की दर और ऋण के पुनर्भुगतान के तरीके आदि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) उन परियोजनाओं के लिए ऋण का उपयोग किया जाएगा, का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या टीएनजीईडीसीओ (टैन जेडको) द्वारा तमिलनाडु में क्रियान्वित की गई किसी योजना को उक्त ऋण कालाभ मिलेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने एशियन डेवेलपमेंट बैंक (एडीबी) से 1,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता मांगी है, जिसमें (i) 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का शासकीय गारंटी प्राप्त ऋण तथा (ii) 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का गैर-शासकीय ऋण शामिल है। इस ऋण का उपयोग निम्नलिखित पारेषण परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए किया जाएगा, जिसमें अगले 3-4 वर्षों में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजनाओं के अन्तर्गत एक परियोजना शामिल है।

(i) पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) तथा दक्षिणी क्षेत्र (पुगालूर, तमिलनाडु) के बीच एचवीडीसी बायपोल लिंक-उत्तरी त्रिचुर (केरल)- स्कीम 1: रायगढ़-पुगालूर 6000 मेगावाट एचवीडीसी प्रणाली।

(ii) पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) तथा दक्षिणी क्षेत्र (पुगालूर, तमिलनाडु) के बीच एचवीडीसी बायपोल लिंक-उत्तरी त्रिचुर (केरल)- स्कीम 3 : पुगालूर-त्रिचुर 2000 मेगावाट वीएससी आधारित एचवीडीसी प्रणाली

(iii) वास्तविक समय मापन/निगरानी प्रणाली

(iv) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से संबद्ध अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) इस प्रकार है:

(क) अजमेर (न्यू)- बीकानेर (न्यू) 765 केवी डी/सी

(ख) बीकानेर (न्यू)- मोगा (पीजी) 765 केवी डी/सी

(ग) बीकानेर (न्यू) में 400 केवी भदला-बीकानेर (आरवीपीएन) लाइन के एक सर्किट का लीला

(घ) बीकानेर (न्यू) में 2x1500 एमवीए, 765/400 केवी एस/एस की संस्थापना

मसौदा ऋण दस्तावेज की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त ऋणों के लिए ब्याज दरें प्रयोज्य फैलाव तथा अधिभार/छूट सहित एलआईबीओआर पर आधारित हैं तथा इसमें छूट अवधि सहित 15 से 20 वर्षों की चुकौती अवधि शामिल है।

परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी पीजीसीआईएल है।

\*\*\*\*\*



भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-264

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

उदयके लिए निगरानी तंत्र

264. डॉ. रत्नाडे (नाग):

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में "डिस्कॉम उदय योजना" के लिए निगरानी तंत्र को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और उक्त कदम से देश के विद्युत क्षेत्र के किस सीमा तक सशक्त एवं जवाबदेह बनने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय) के लिए निगरानी तंत्र में डिस्कॉम स्तर पर इसके प्रमुख द्वारा, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव/ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा और भारत सरकार के स्तर पर सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयीन समिति द्वारा निगरानी शामिल है। निगरानी प्रयोजन के लिए एक वेब पोर्टल ([www.uday.gov.in](http://www.uday.gov.in)) भी बनाया गया है।

\*\*\*\*\*

भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-266

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

जलविद्युतपरियोजनाएं

266. श्रीबी. रामलु:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्मित/निर्माणाधीन जलविद्युतपरियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) प्रत्येक जलविद्युतपरियोजनाओं द्वारा कितना विद्युत उत्पादित किया जा रहा है और इनकी अधिष्ठापित क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा उक्त जलविद्युतपरियोजनाओं के अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार विद्युत के उत्पादन हेतु इनकी कार्यकुशलता सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) राष्ट्रीय जलविद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) की कर्नाटक सहित प्रत्येक विद्युतपरियोजना की स्थापना पर कुल कितना व्यय हुआ है तथा आज की तिथि के अनुसार उक्त प्रत्येक विद्युतपरियोजनाओं की परियोजना-वार हासिल बही मूल्य कितना है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र को आवंटित 40,000 मेगावाट की सम्मिलित क्षमता वाली विभिन्न जलविद्युतपरियोजनाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विलंब के परियोजना-वार क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्तमान में देश में 43112.42 मेगावाट (पम्पड स्टोरेज स्कीम सहित) की औसतन संस्थापित क्षमता वाली कुल 197 जल विद्युत परियोजनाएं प्रचालनाधीन हैं। प्रत्येक जलविद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित ऊर्जा सहित प्रचालनाधीन जल विद्युत स्टेशनों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। इसके

अतिरिक्त, देश में कुल 13,182 मेगावाट की 44 जलविद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं।  
**ब्यौरा अनुबंध-II** में संलग्न है।

देश में अधिकतर जल विद्युत परियोजनाएं अपनी संस्थापित क्षमता के अनुसार विद्युत का उत्पादन कर रही हैं। कुछ जल विद्युत परियोजनाओं, विशेष रूप से, दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश में अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रचालन न करने का मुख्य कारण जल का कम प्रवाह होना है। इसके अतिरिक्त, चल रहे नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के कारण रिहन्द, भद्रा, हीराकुण्ड आदि जैसे कुछ स्टेशनों में उत्पादन प्रभावित हुआ है।

(ग) : कर्नाटक सहित नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) की प्रत्येक विद्युत परियोजना की स्थापना पर किया गया परियोजना-वार व्यय और एनएचपीसी से प्राप्त आज की तारीख तक इन विद्युत परियोजनाओं की प्रत्येक परियोजना की अवमूल्यन बुक कीमत **अनुबंध-III** में दी गई है।

(घ) : सीईए में उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में निजी क्षेत्र में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत् है:

क्र.सं.	स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	प्रचालनाधीन*	26	3269
2	निर्माणाधीन	19	4555
3	सीईए द्वारा सहमति प्राप्त डीपीआर	22	15058
4	सीईए द्वारा जाँचाधीन डीपीआर	6	3317
5	पुनः प्रस्तुत करने हेतु वापस की गई डीपीआर	16	5338
6	तैयारी के अधीन डीपीआर	31	6502
<b>कुल</b>		<b>120</b>	<b>38039</b>

\*नोट: 3 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली।

(ङ) : निजी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विलंब के कारणों में मुख्य रूप से कानून एवं व्यवस्था संबंधी मुद्दे, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, प्राकृतिक आपदाएं, भू-वैज्ञानिक अप्रत्याशित घटनाएं, पर्यावरणीय स्वीकृतियां, वित्तीय बाधाएं आदि शामिल हैं।

(च) : मामलों का समाधान करने के लिए विकासकर्ताओं, राज्यों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ सीईए, विद्युत मंत्रालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 266 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

(31.10.2016 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/स्टेशन/यूटिलिटी	31.10.2016 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2016-17 (31.10.2016 तक)* उत्पादित ऊर्जा (एमयू)
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>		
<b>हिमाचल प्रदेश</b>		
भाखड़ा एलएंडआर	1325.00	3576.02
देहार	990.00	2626.67
गंगुवाल	77.65	240.89
कोटला	77.65	256.06
पोंग	396.00	726.15
बैरा सियुल	180.00	492.15
चमेरा-I	540.00	1802.01
चमेरा-II	300.00	1217.46
चमेरा-III	231.00	856.45
नाथपा झाकड़ी	1500.00	5980.38
रामपुर	412.02	1666.22
कोलडैम	800.00	2805.48
कशांग-I	65.00	35.79
कशांग-II व III	65.00	
बस्सी	60.00	244.62
गिरी बाटा	60.00	105.09
लारजी	126.00	510.43
संजय	120.00	96.68
शानन	110.00	387.35
अलियन दुहांगन (निजी)	192.00	607.85
मलाना-II (निजी)	100.00	336.57
बासपा-II	300.00	1181.39
करछम वांगटू	1000.00	3795.87
बुधहिल (निजी)	70.00	237.66
मलाना	86.00	314.45
<b>कुल हिमाचल प्रदेश</b>	<b>9183.32</b>	<b>30099.69</b>
<b>जम्मू व कश्मीर</b>		
चूटक	44.00	22.98
धौलीगंगा	280.00	803.75
दुलहस्ती	390.00	1788.11
निम्मो बाजगो	45.00	44.23
पारबती-III	520.00	610.18
सलाल-I	345.00	2781.56
सलाल-II	345.00	
सेवा-II	120.00	286.62
टनकपुर	94.20	328.68

उरी	480.00	1965.52
उरी-II	240.00	1013.06
बगलीहार	450.00	1611.05
बगलीहार	450.00	1714.39
लोअर झेलम	105.00	311.69
अपर सिंध-II	105.00	311.45
<b>कुल जम्मू व कश्मीर</b>	<b>4013.20</b>	<b>13593.27</b>
<b>पंजाब</b>		
ए.पी. साहिब-I व II	134.00	511.54
मुकेरियां I-IV	207.00	534.18
रंजित सागर	600.00	963.27
<b>कुल पंजाब</b>	<b>941.00</b>	<b>2008.99</b>
<b>राजस्थान</b>		
जवाहर सागर	99.00	95.48
माही बजाज-I व II	140.00	109.36
आर.पी. सागर	172.00	114.93
<b>कुल राजस्थान</b>	<b>411.00</b>	<b>319.77</b>
<b>उत्तर प्रदेश</b>		
खारा	72.00	208.39
माताटीला	30.60	59.92
ओबरा	99.00	124.18
रिहंद	300.00	315.03
<b>कुल उत्तर प्रदेश</b>	<b>501.60</b>	<b>707.52</b>
<b>उत्तराखंड</b>		
चिब्रो (वाई.स्टे.-II)	240.00	567.63
चिल्ला	144.00	488.40
धकरनी(वाई.स्टे.-I)	33.75	94.57
धालीपुर ((वाई.स्टे.-I)	51.00	142.67
खटीमा	41.40	117.97
खोदरी(वाई.स्टे.-II)	120.00	260.80
कुलहल(वाई.स्टे.-IV)	30.00	92.79
मनेरी भाली-I	90.00	223.63
मनेरी भाली-II	304.00	1066.94
राम गंगा	198.00	26.21
टिहरी	1000.00	1996.83
कोटेश्वर	400.00	791.83
श्रीनगर	330.00	1095.85
विष्णु प्रयाग	400.00	1733.44
<b>कुल उत्तराखंड</b>	<b>3382.15</b>	<b>8699.56</b>
<b>कुल उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>18432.27</b>	<b>55428.80</b>
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>		
<b>छत्तीसगढ़</b>		
हसदियो बांगो	120.00	141.68
<b>कुल छत्तीसगढ़</b>	<b>120.00</b>	<b>141.68</b>
<b>गुजरात</b>		
कदाना पीएसएस	240.00	257.21
उकई	300.00	203.90
सरदार सरोवर सीएचपीएच	250.00	453.57
सरदार सरोवर आरबीपीएच	1200.00	2244.51
<b>कुल गुजरात</b>	<b>1990.00</b>	<b>3159.19</b>
<b>मध्य प्रदेश</b>		

बनसागर टोन्स-I	315.00	652.15
बनसागर टोन्स-II	30.00	47.59
बनसागर टोन्स-III	60.00	49.13
बारगी	90.00	282.66
गांधी सागर	115.00	89.78
मधीखेरा	60.00	95.86
राजघाट	45.00	23.66
इंदिरा सागर	1000.00	2208.08
ओंकारेश्वर	520.00	959.98
<b>कुल मध्य प्रदेश</b>	<b>2235.00</b>	<b>4408.89</b>
<b>महाराष्ट्र</b>		
भीरा टेल रेस	80.00	67.49
घाटघर पीएसएस	250.00	164.36
कोयना डीपीएच	36.00	68.72
कोयना स्टे.-I व II	600.00	660.63
कोयना स्टे.-III	320.00	307.23
कोयना-IV	1000.00	451.69
तिल्लारी	60.00	56.30
वैतर्णा	60.00	58.95
पेंच	160.00	232.21
भंडारधारा-II	34.00	15.23
भीरा	150.00	605.41
भीरा पीएसएस	150.00	
भिवपुरी	75.00	61.63
खोपोली	72.00	164.79
<b>कुल महाराष्ट्र</b>	<b>3047</b>	<b>2915</b>
<b>कुल पश्चिमी</b>	<b>7392.00</b>	<b>10624.40</b>
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>		
<b>आंध्र प्रदेश</b>		
लोअर सिलेरू	460.00	367.61
एन.जे. सागर आरबीसी	90.00	1.18
एन.जे. सागर टीपीडी		0.00
श्रीशैलम आरबी	770.00	422.76
अपर सिलेरू-I व II	240.00	133.30
<b>कुल आंध्र प्रदेश</b>	<b>1560.00</b>	<b>924.85</b>
<b>तेलंगाना</b>		
लोअर जुराला	240.00	175.24
एन.जे. सागर पीएसएस	815.60	118.53
एन.जे. सागर एलबीसी	60.00	0.00
पोचमपड	27.00	31.63
श्रीशैलन एलबी	900.00	373.81
प्रियदर्शिनी	234.00	211.99
पुलीचिंताला	30.00	7.41
<b>कुल तेलंगाना</b>	<b>2306.60</b>	<b>918.61</b>
<b>कर्नाटक</b>		
अमत्ती डैम	290.00	321.34
भद्रा	39.20	15.87
गेरूसोप्पा	240.00	135.22
घाटप्रभा	32.00	8.97
जोग	139.20	211.87
कद्रा	150.00	127.69

काली नदी	855.00	682.83
सूपा डीपीएच	100.00	104.40
कोडासली	120.00	94.01
लिंगनामक्की	55.00	36.59
मुनीराबाद	28.00	30.43
श्रीवथी	1035.00	1151.35
शिवासमुद्रम	42.00	125.18
वराही	460.00	485.14
टी.बी. डैम और हम्पी	72.00	64.74
<b>कुल कर्नाटक</b>	<b>3657.40</b>	<b>3595.63</b>
<b>केरल</b>		
इदमलायर	75.00	93.68
इदुक्की	780.00	911.76
कक्कड़	50.00	87.40
कुट्टियाडी	125.00	310.99
कुट्टियाडी एडि. एक्सटें.	100.00	
लोअर पेरियार	180.00	270.68
नेरियामंगलम	70.00	166.74
पल्लीवसल	37.50	121.35
पन्नियर	30.00	52.12
पोरिंगलकुथु	32.00	74.76
साबरीगिरी	300.00	499.31
सेंगुलम	48.00	91.74
शोलायर	54.00	94.45
<b>कुल केरल</b>	<b>1881.50</b>	<b>2774.98</b>
<b>तमिलनाडु</b>		
अलियर	60.00	42.79
भवानी कट्टालई बैराज-III	30.00	16.57
भवानी कट्टालई बैराज-II	30.00	17.86
भवानी कट्टालई बैराज-I	30.00	18.71
कदमपराई पीएसएस	400.00	145.78
कोडायर-I व II	100.00	97.91
कुंडहा I-V	555.00	555.18
लोअर मेडूर I-IV	120.00	82.63
मेडूर डैम और टनल	250.00	114.75
मोयर	36.00	46.18
पापनसम	32.00	54.34
पर्सन्स वैली	30.00	11.50
पेरियार	140.00	93.94
पाईकारा	59.20	12.70
पाईकारा अल्टीमेट	150.00	139.73
सरकारपथी	30.00	41.01
शोलायर-I व II	95.00	214.76
सुरुलियर	35.00	29.07
<b>कुल तमिलनाडु</b>	<b>2182.20</b>	<b>1735.41</b>
<b>कुल दक्षिणी</b>	<b>11587.70</b>	<b>9949.48</b>
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>		
<b>झारखंड</b>		
सुबर्णरेखा-I व II	130.00	30.23
पंचेट	80.00	103.09
<b>कुल झारखंड</b>	<b>210.00</b>	<b>133.32</b>

<b>ओडिशा</b>		
बालीमेला	510.00	533.67
हीराकुड-I	275.50	532.04
हीराकुड-II	72.00	
रेंगाली	250.00	479.79
अपर इंद्रावती	600.00	973.45
अपर कोलाब	320.00	387.17
मचकुंड	114.75	350.28
<b>कुल ओडिशा</b>	<b>2142.25</b>	<b>3256.40</b>
<b>सिक्किम</b>		
जोरथांग लूप	96.00	328.75
चूजाचैन (सिक्किम)	99.00	434.21
तीस्ता-III		0.21
रंगित	60.00	255.56
तीस्ता-V	510.00	2219.21
<b>कुल सिक्किम</b>	<b>765.00</b>	<b>3237.94</b>
<b>पश्चिम बंगाल</b>		
जलढाका-I	36.00	158.53
पुरुलिया पीएसएस	900.00	691.85
रम्मम-II	50.00	185.83
मैथॉन	63.20	98.09
तीस्ता लो डैम-III	132.00	462.10
तीस्ता लो डैम-IV	160.00	479.86
<b>कुल पश्चिम बंगाल</b>	<b>1341.20</b>	<b>2076.26</b>
<b>कुल पूर्वी</b>	<b>4458.45</b>	<b>8703.92</b>
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>		
<b>असम</b>		
कारबी लांगपी	100.00	310.64
खांडोंग	75.00	146.59
कोपिली	200.00	789.46
<b>कुल असम</b>	<b>375.00</b>	<b>1246.69</b>
<b>मेघालय</b>		
किरदमकुलई	60.00	39.76
मिटंडू	126.00	348.35
उमियम स्टे.-I	36.00	80.29
उमियम स्टे.-IV	60.00	138.63
न्यू उमतरू		0.00
<b>कुल मेघालय</b>	<b>282.00</b>	<b>607.03</b>
<b>नागालैंड</b>		
दोयांग	75.00	217.87
<b>कुल नागालैंड</b>	<b>75.00</b>	<b>217.87</b>
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>		
रंगानदी	405.00	1049.06
<b>कुल अरुणाचल प्रदेश</b>	<b>405.00</b>	<b>1049.06</b>
<b>मणिपुर</b>		
लोकटक	105.00	479.52
<b>कुल मणिपुर</b>	<b>105.00</b>	<b>479.52</b>
<b>कुल पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>1242.00</b>	<b>3600.17</b>
<b>कुल अखिल भारत</b>	<b>43112.42</b>	<b>88306.77</b>

\*\*\*\*\*



**अनुबंध-II**

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 266 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची - राज्य-वार**

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	(31.10.2016 की स्थिति के अनुसार)	
			निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	पूरा होने की समय-सीमा
<b>आंध्र प्रदेश</b>				
1	पोलावरम (पीपीए)	राज्य	960.00	2021-22 ##
2	नागार्जुन सागर टीआर (एपजेंको)	राज्य	50.00	2016-17
<b>उप-जोड़: आंध्र प्रदेश</b>			<b>1010.00</b>	
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>				
3	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	600.00	2017-18 @
4	पारे (नीपको)	केंद्रीय	110.00	2017-18 @
5	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	2000.00	2020-21 *
6	गोंगरी (दिरांग एनर्जी)	निजी	144.00	2019-20 #
<b>उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश</b>			<b>2854.00</b>	
<b>हिमाचल प्रदेश</b>				
7	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	800.00	2018-19
8	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	100.00	2017-18
9	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	राज्य	111.00	2018-19
10	सैंज (एचपीपीसीएल)	राज्य	100.00	2016-17
11	शॉगटॉग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	450.00	2019-20
12	कशांग-II व III (एचपीपीसीएल)	राज्य	65.00	2019-20 *
13	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	180.00	2019-20
14	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	100.00	2017-18 *
15	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	44.00	2018-19 *
16	टिडोंग-I (एनएसएल टिडोंग)	निजी	100.00	2017-18
17	चंजू-I (आईए एनर्जी)	निजी	36.00	2016-17
<b>उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश</b>			<b>2086.00</b>	
<b>जम्मू व कश्मीर</b>				
18	किशनगंगा (एनएचपीसी)	केंद्रीय	330.00	2017-18
19	रत्ले (आरएचईपीपीएल)	निजी	850.00	2021-22 *
<b>उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर</b>			<b>1180.00</b>	
<b>केरल</b>				
20	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	60.00	2019-20 *
21	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	40.00	2019-20 *
<b>उप-जोड़: केरल</b>			<b>100.00</b>	
<b>मध्य प्रदेश</b>				
22	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	400.00	2017-19 *
<b>उप-जोड़: मध्य प्रदेश</b>			<b>400.00</b>	

	<b>महाराष्ट्र</b>			
23	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	80.00	2019-20 #
	<b>उप-जोड़: महाराष्ट्र</b>		<b>80.00</b>	
	<b>मेघालय</b>			
24	न्यू उमतरू (एमईपीजीसीएल)	राज्य	40.00	2016-18 @
	<b>उप-जोड़: मेघालय</b>		<b>40.00</b>	
	<b>मिजोरम</b>			
25	तुरियल (नीपको)	केंद्रीय	60.00	2017-18
	<b>उप-जोड़: मिजोरम</b>		<b>60.00</b>	
	<b>पंजाब</b>			
26	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल)	राज्य	206.00	2019-20 *
	<b>उप-जोड़: पंजाब</b>		<b>206.00</b>	
	<b>सिक्किम</b>			
27	भास्मे (गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	51.00	2019-20
28	दिकचू (स्नेह काइनेटिक)	निजी	96.00	2016-17
29	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	120.00	2019-20 *
30	रंगित-II (सिक्किमहाइड्रो)	निजी	66.00	2019-20 #
31	रौंगनीचू (मध्य भारत)	निजी	96.00	2019-20
32	ताशिडिंग (शीघा एनर्जी)	निजी	97.00	2016-17
33	तीस्ता स्टे.-III (तीस्ता ऊर्जा लि.)	राज्य	1200.00	2016-17
34	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको)	निजी	500.00	2021-22 *
35	पनन (हिमगिरी)	निजी	300.00	2020-21 ##
	<b>उप-जोड़: सिक्किम</b>		<b>2526.00</b>	
	<b>तेलंगाना</b>			
36	पुलीचिंताला (टीएसजैको)	राज्य	90.00	2016-18
	<b>उप-जोड़: तेलंगाना</b>		<b>90.00</b>	
	<b>उत्तराखंड</b>			
37	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	171.00	2021-22 *
38	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	520.00	2019-20
39	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	1000.00	2019-20
40	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	444.00	2019-20
41	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	120.00	2018-19
42	फाटा ब्युंग (लैंको)	निजी	76.00	2018-19 #
43	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	99.00	2019-20 #
	<b>उप-जोड़: उत्तराखंड</b>		<b>2430.00</b>	
	<b>पश्चिम बंगाल</b>			
44	रम्मम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	120.00	2019-20
	<b>उप-जोड़: पश्चिम बंगाल</b>		<b>120.00</b>	
	<b>कुल:</b>		<b>13182.00</b>	

\* कार्य के पुनः शुरू होने से संबद्ध

# कार्य के तेजी से शुरू होने से संबद्ध

## कार्य के तेजी से शुरू होने और इंजंम कार्यों को अवाई करने से संबद्ध

@ 2016-17 के कार्यक्रम में परियोजनाएं, तथापि 2017-18 में स्लिपिंग

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-III**

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 266 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**दिनांक 30 जून, 2016 की स्थिति के अनुसार, परियोजनाओं की स्थापना पर हुए कुल व्यय तथा परियोजनाओं का हासिल खाता मूल्य**

**(राशि करोड़ में)**

एनएचपीसी लिमिटेड							
दिनांक 30 जून, 2016 की स्थिति के अनुसार, परियोजनाओं की स्थापना पर हुए कुल व्यय तथा परियोजनाओं का हासिल खाता मूल्य							
(राशि करोड़ में)							
क्रम सं.	यूनिट	राज्य	अचल संपत्ति का समय खंड	चल रहे पूंजीगत कार्य	परियोजना स्थापना पर हुआ कुल व्यय	मूल्यहास	परियोजना का हासिल खाता मूल्य
<b>क</b>	<b>प्रचालनाधीन परियोजना</b>						
1	सलाल	जम्मू व कश्मीर	992.54	13.10	1,005.64	654.45	351.19
2	उरी-I	जम्मू व कश्मीर	3,517.09	8.23	3,525.33	1,786.89	1,738.44
3	उरी-II	जम्मू व कश्मीर	2,166.08	18.62	2,184.70	290.71	1,893.99
4	दुलहस्ती	जम्मू व कश्मीर	5,257.68	4.32	5,262.00	2,252.94	3,009.06
5	सेवा-II	जम्मू व कश्मीर	1,106.65	0.00	1,106.65	334.80	771.85
6	निम्मो बाजगो	जम्मू व कश्मीर	971.78	1.27	973.05	131.17	841.88
7	चूटक	जम्मू व कश्मीर	877.07	2.08	879.15	154.08	725.06
8	बैरासियुल	हिमाचल प्रदेश	225.13	0.14	225.28	185.85	39.43
9	चमेरा-I	हिमाचल प्रदेश	2,161.52	1.98	2,163.51	1,250.81	912.70
10	चमेरा-II	हिमाचल प्रदेश	2,078.68	1.34	2,080.02	1,051.32	1,028.70
11	चमेरा-III	हिमाचल प्रदेश	1,956.91	10.53	1,967.44	404.72	1,562.72
12	पारबती-III	हिमाचल प्रदेश	2,466.75	21.38	2,488.13	273.49	2,214.64
13	टनकपुर	उत्तराखंड	420.33	1.80	422.14	229.36	192.78
14	धौलीगंगा-I	उत्तराखंड	1,759.31	1.12	1,760.42	792.12	968.30
15	लोकटक	मणिपुर	195.30	0.64	195.93	148.53	47.41
16	रंगित	सिक्किम	515.83	0.26	516.09	240.12	275.98
17	तीस्ता-V	सिक्किम	2,911.38	1.83	2,913.21	1,143.28	1,769.93
18	टीएलडीपी-III	पश्चिम बंगाल	1,880.56	10.14	1,890.70	306.99	1,583.71
19	टीएलडीपी-IV	पश्चिम बंगाल	1,352.69	298.09	1,650.77	20.52	1,630.25
<b>ख</b>	<b>निर्माणाधीन/जांचाधीन परियोजना</b>						
1	किशनगंगा	जम्मू व कश्मीर	297.65	4,337.53	4,635.18	53.44	4,581.74
2	पारबती-II	हिमाचल प्रदेश	217.89	5,701.27	5,919.15	81.93	5,837.22
3	सुबानसिरी लोअर	असम/अरुणाचल प्रदेश	151.44	5,702.73	5,854.17	76.15	5,778.02
4	बुरसुर	जम्मू व कश्मीर	4.07	1.66	5.72	3.09	2.63
5	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	7.60	194.55	202.15	5.96	196.19
6	तवांग	अरुणाचल प्रदेश	3.71	178.83	182.54	2.55	179.99
7	कोटलाभेल-1ए	उत्तराखंड	23.73	0.95	24.67	10.73	13.95
8	धौलीगंगा इंटरमीडिएट	उत्तराखंड	0.32	46.50	46.81	0.19	46.63
9	तीस्ता-IV	सिक्किम	1.58	126.38	127.96	0.85	127.11
10	पवन ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर (डब्ल्यूपीपीजे)	राजस्थान	1.04	319.68	320.72	0.01	320.72
	<b>कुल</b>		<b>33,522.31</b>	<b>17,006.95</b>	<b>50,529.26</b>	<b>11,887.05</b>	<b>38,642.21</b>
टिप्पणी:- इस समय, एनएचपीसी लिमिटेड की कोई विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है।							

\*\*\*\*\*

भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-276

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु धनराशि

276. श्रीनिहालचन्द:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार का विद्युत क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि करने का विचार है ताकि देश में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीपीयूषगोयल)

(क): नोडल एजेंसियों नामतः रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी), पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) और विद्युत प्रणाली प्रचालन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको) के जरिए क्रमशः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र का विकास करने के लिए राज्य डिस्कॉमों को आगे संवितरण करने हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्यों को निधियां जारी की गई हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान सभी तीन स्कीमों के अन्तर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	जारी की गई निधि		
		2013-14	2014-15	2015-16
1.	डीडीयूजीजेवाई	2938.52	3374.41	4500.00
2.	आईपीडीएस	639.99	628.47	944.80
3.	पीएसडीएफ	शून्य	185.46	175.00

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2014-15 में विद्युत क्षेत्र सहायता के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 200 करोड़ रुपए की एकबारगी सहायता भी उपलब्ध कराई गई थी।

(ख) एवं (ग): विद्युत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को विद्युत क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाकर वर्ष 2016-17 के लिए बीई में 12,252.71 करोड़ रुपए से आरई में 13130 करोड़ रुपए और वर्ष 2017-18 के लिए बीई में 22767.39 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है।

\*\*\*\*\*

भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-292

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

महाराष्ट्र में जल विद्युत

292. श्री राजशेही:

श्री फिरोजवरुण गांधी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस क्षमता का दोहन न कर पाने के राज्य-

वार क्या कारण हैं, और विगत दो दशकों के दौरान जल विद्युत उत्पादन में निरंतर गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों और निगमों के अंतर्गत वर्तमान जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी प्रस्तावित क्षमता और पूर्ण होने की अवधि क्या है और देर होने वाली परियोजनाओं के परियोजना-वार देर होने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में राज्य-वार जल विद्युत क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सीईए द्वारा वर्ष 1978-87 के दौरान, करवाए गए पुनः आकलन अध्ययनों के अनुसार, देश में 148701 मेगावाट की आकलित की गई जल विद्युत संभाव्यता है जिसमें से 145320 मेगावाट की संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली जल विद्युत स्कीमें शामिल हैं। इस समय 43112 मेगावाट (पंप स्टोरेज स्कीमों सहित) का दोहन किया जा चुका है। संभाव्यता तथा इसके विकास के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-1 में संलग्न हैं।

जल विद्युत उत्पादन का हिस्सा अधिक पूंजीगत लागत, भूमि अधिग्रहण मुद्दों, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना मुद्दों, दूरस्थ जल विद्युत परियोजना स्थलों में अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं, कानून एवं व्यवस्था/स्थानीय मुद्दों, अप्रत्याशित घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, अंतर-राज्यीय मुद्दों इत्यादि तथा परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक प्रशुल्क के कारण कम हुआ है।

(ग) : इस समय, देश में कुल 13182 मेगावाट की 44 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। ऐसी परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-II में संलग्न हैं। इन परियोजनाओं में से कुल 6281 मेगावाट की 19 जल विद्युत परियोजनाएं रूकी हुई/बाधग्रस्त हैं। ऐसी परियोजनाओं के कारणों सहित ब्यौरे अनुबंध-III में संलग्न हैं।

(घ) : देश में जल विद्युत संभाव्यता के पूर्ण दोहन के लिए सरकार द्वारा कई सुधारात्मक उपाय शुरू किए गए हैं अर्थात् राष्ट्रीय विद्युत नीति के अंतर्गत लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण का प्रावधान, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के मानदंडों की तुलना में मूल्यहास की न्यूनतम दर प्रभारित करने का विकल्प, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लागत आधिक्य प्रशुल्क क्षेत्र का दिनांक 15.08.2022 तक विस्तारसंशोधित प्रशुल्क नीति में, नवीकरणीय क्रय दायित्व से जल विद्युत को हटाना इत्यादि।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 292 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**जल विद्युत संभाव्यता विकास की स्थिति**  
(संस्थापित क्षमता के संदर्भ में- 25 मेगावाट से अधिक)

31.10.2016 की स्थिति के अनुसार

क्षेत्र/राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर चिन्हित क्षमता		क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता		प्रचालनाधीन + निर्माणाधीन क्षमता		जिस क्षमता को निर्माण हेतु अभी लिया जाना है	
	कुल	25 मेगावाट से अधिक	प्रचालनाधीन							
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	%	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	%
<b>उत्तरी</b>										
जम्मू व कश्मीर	14146	13543	3119.0	23.03	1180.0	8.71	4299.0	31.74	9244.0	68.26
हिमाचल प्रदेश	18820	18540	9438.0	50.91	2086.0	11.25	11524.0	62.16	7016.0	37.84
पंजाब	971	971	1206.3	100	206.0	21.22	1412.3	100.00	0.0	0.00
हरियाणा	64	64	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
राजस्थान	496	483	411.0	85.09	0.0	0.00	411.0	100.00	0.0	0.00
उत्तराखंड	18175	17998	3756.4	20.87	1430.0	7.95	5186.4	28.82	12811.7	71.18
उत्तर प्रदेश	723	664	501.6	75.54	0.0	0.00	501.6	75.54	39.0	5.87
उप-जोड़ (एनआर)	53395	52263	18432.3	35.27	4902.0	9.38	23334.3	44.65	28928.8	55.35
<b>पश्चिमी</b>										
मध्य प्रदेश	2243	1970	2395.0	100	400.0	20.30	2795.0	100.00	0.0	0.00
छत्तीसगढ़	2242	2202	120.0	5.45	0.0	0.00	120.0	5.45	2082.0	94.55
गुजरात	619	590	550.0	100	0.0	0.00	550.0	100.00	0.0	0.00
महाराष्ट्र	3769	3314	2487.0	75.05	0.0	0.00	2487.0	75.05	827.0	24.95
गोवा	55	55	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.0	100.00
उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	8928	8131	5552.0	68.28	400.0	4.92	5952.0	73.20	2179.0	26.80
<b>दक्षिणी</b>										
आंध्र प्रदेश	2366	2341	1746.8	74.62	1010.0	43.14	2756.8	117.76	0.0	0.00
तेलंगाना	2058	2019	701.0	34.72	90.0	4.46	791.0	39.18	1228.0	60.82
कर्नाटक	6602	6459	3585.4	55.51	0.0	0.00	3585.4	55.51	2873.6	44.49
केरल	3514	3378	1881.5	55.70	100.0	2.96	1981.5	58.66	1396.5	41.34
तमिलनाडु	1918	1693	1782.2	100	0.0	0.00	1782.2	100.00	0.0	0.00
उप-जोड़ (एसआर)	16458	15890	9696.9	61.02	1200.0	7.55	10896.9	68.58	4993.2	31.42
<b>पूर्वी</b>										
झारखंड	753	582	170.0	29.21	0.0	0.00	170.0	29.21	412.0	70.79
बिहार	70	40	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
ओडिशा	2999	2981	2027.5	68.01	0.0	0.00	2027.5	68.01	953.5	31.99
पश्चिम बंगाल	2841	2829	441.2	15.60	120.0	4.24	561.2	19.84	2267.8	80.16
सिक्किम	4286	4248	765.0	18.01	2526.0	59.46	3291.0	77.47	957.0	22.53
उप-जोड़ (ईआर)	10949	10680	3403.7	31.87	2646.0	24.78	6049.7	56.65	4630.3	43.35
<b>पूर्वोत्तर</b>										
मेघालय	2394	2298	282.0	12.27	40.0	1.74	322.0	14.01	1976.0	85.99
त्रिपुरा	15	0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
मणिपुर	1784	1761	105.0	5.96	0.0	0.00	105.0	5.96	1656.0	94.04
असम	680	650	375.0	57.69	0.0	0.00	375.0	57.69	275.0	42.31
नागालैंड	1574	1452	75.0	5.17	0.0	0.00	75.0	5.17	1377.0	94.83
अरुणाचल पीडी	50328	50064	405.0	0.81	2854.0	5.70	3259.0	6.51	46805.0	93.49
मिजोरम	2196	2131	0.0	0.00	60.0	2.82	60.0	2.82	2071.0	97.18
उप-जोड़ (एनईआर)	58971	58356	1242.0	2.13	2954.0	5.06	4196.0	7.19	54160.0	92.81
<b>अखिल भारत</b>	<b>148701</b>	<b>145320</b>	<b>38326.8</b>	<b>26.37</b>	<b>12102.0</b>	<b>8.33</b>	<b>50428.8</b>	<b>34.70</b>	<b>94891.2</b>	<b>65.30</b>

टिप्पणी:-

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 9 पीएसएस (4785.6 मेगावाट) प्रचालनाधीन हैं, 2 पीएसएस (1080 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 292 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची - राज्य-वार

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	(31.10.2016 की स्थिति के अनुसार)	
			निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	पूरा होने की समय-सीमा
<b>आंध्र प्रदेश</b>				
1	पोलावरम पीपीए	राज्य	960.00	2021-22 ##
2	नागार्जुन सागर टीआर (एपजेको)	राज्य	50.00	2016-17
<b>उप-जोड़: आंध्र प्रदेश</b>			<b>1010.00</b>	
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>				
3	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	600.00	2017-18 @
4	पारे (नीपको)	केंद्रीय	110.00	2017-18 @
5	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	2000.00	2020-21 *
6	गोंगरी (दिरांग एनर्जी)	निजी	144.00	2019-20 #
<b>उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश</b>			<b>2854.00</b>	
<b>हिमाचल प्रदेश</b>				
7	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	800.00	2018-19
8	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	100.00	2017-18
9	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	राज्य	111.00	2018-19
10	सैंज (एचपीपीसीएल)	राज्य	100.00	2016-17
11	शौंगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	450.00	2019-20
12	कशांग-II व III (एचपीपीसीएल)	राज्य	65.00	2019-20 *
13	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	180.00	2019-20
14	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	100.00	2017-18 *
15	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	44.00	2018-19 *
16	टिडोंग-I (एनएसएल टिडोंग)	निजी	100.00	2017-18
17	चंजू-I (आईए एनर्जी)	निजी	36.00	2016-17
<b>उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश</b>			<b>2086.00</b>	
<b>जम्मू व कश्मीर</b>				
18	किशनगंगा (एनएचपीसी)	केंद्रीय	330.00	2017-18
19	रत्ले (आरएचईपीपीएल)	निजी	850.00	2021-22 *
<b>उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर</b>			<b>1180.00</b>	
<b>केरल</b>				
20	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	60.00	2019-20 *
21	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	40.00	2019-20 *
<b>उप-जोड़: केरल</b>			<b>100.00</b>	
<b>मध्य प्रदेश</b>				
22	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	400.00	2017-19 *



	<b>उप-जोड़: मध्य प्रदेश</b>		<b>400.00</b>	
	<b>महाराष्ट्र</b>			
23	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	80.00	2019-20 #
	<b>उप-जोड़: महाराष्ट्र</b>		<b>80.00</b>	
	<b>मेघालय</b>			
24	न्यू उमतरू (एमईपीजीसीएल)	राज्य	40.00	2016-18 @
	<b>उप-जोड़: मेघालय</b>		<b>40.00</b>	
	<b>मिजोरम</b>			
25	तुरियल (नीपको)	केंद्रीय	60.00	2017-18
	<b>उप-जोड़: मिजोरम</b>		<b>60.00</b>	
	<b>पंजाब</b>			
26	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल)	राज्य	206.00	2019-20 *
	<b>उप-जोड़: पंजाब</b>		<b>206.00</b>	
	<b>सिक्किम</b>			
27	भास्मे (गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	51.00	2019-20
28	दिकचू (स्नेह काइनेटिक)	निजी	96.00	2016-17
29	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	120.00	2019-20 *
30	रंगित-II (सिक्किमहाइड्रो)	निजी	66.00	2019-20 #
31	रौंगनीचू (मध्य भारत)	निजी	96.00	2019-20
32	ताशिडिंग (शीघा एनर्जी)	निजी	97.00	2016-17
33	तीस्ता स्टे.-III (तीस्ता ऊर्जा लि.)	राज्य	1200.00	2016-17
34	तीस्ता स्टे.-VI (लेंको)	निजी	500.00	2021-22 *
35	पनन (हिमगिरी)	निजी	300.00	2020-21 ##
	<b>उप-जोड़: सिक्किम</b>		<b>2526.00</b>	
	<b>तेलंगाना</b>			
36	पुलीचिंताला (टीएसजैको)	राज्य	90.00	2016-18
	<b>उप-जोड़: तेलंगाना</b>		<b>90.00</b>	
	<b>उत्तराखंड</b>			
37	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	171.00	2021-22 *
38	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	520.00	2019-20
39	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	1000.00	2019-20
40	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	444.00	2019-20
41	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	120.00	2018-19
42	फाटा ब्यूंग (लेंको)	निजी	76.00	2018-19 #
43	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	99.00	2019-20 #
	<b>उप-जोड़: उत्तराखंड</b>		<b>2430.00</b>	
	<b>पश्चिम बंगाल</b>			
44	रम्मम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	120.00	2019-20
	<b>उप-जोड़: पश्चिम बंगाल</b>		<b>120.00</b>	
	<b>कुल:</b>		<b>13182.00</b>	

\* कार्य के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन

# कार्य के सक्रिय रूप से शुरू होने के अध्यक्षीन

## कार्य के सक्रिय रूप से शुरू होने और ईएंडएम कार्यों को अवाई करने के अध्यक्षीन

@ 2016-17 के कार्यक्रम की परियोजनाएं, तथापि 2017-18 में स्लिपिंग।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 292 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**रुकी हुई निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं**

क्रम सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट)	राज्य	रुकने का कारण
	<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>		
1	लता तपोवन, एनटीपीसी लिमिटेड 3x57=171 मेगावाट	उत्तराखंड	माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के आदेश के द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया।
2	सुबानसिरी लोअर एनएचपीसी लिमिटेड 8x250=2000 मेगावाट	अरुणाचल प्रदेश/असम	- बांध की सुरक्षा और बांध के अनुप्रवाही प्रभावों पर विभिन्न सक्रियतावादियों द्वारा आंदोलन करने पर, दिनांक 16.12.2011 से कार्य रुका। - मामला माननीय एनजीटी, कोलकाता बेंच में।
	<b>राज्य क्षेत्र</b>		
3	कशांग - II व III एचपीपीसीएल 2x65 = 130 मेगावाट (1 यूनिट पहले ही चालू की जा चुकी है)	हिमाचल प्रदेश	- एनजीटी में दो पृथक मामलों (एक पर्यावरण स्वीकृति का और दूसरा वन स्वीकृति का) के लंबित होने के कारण वर्ष 2011 से केके लिंक सुरंग का कार्य प्रारंभ न हो सका। पर्यावरण स्वीकृति के मामले का निर्णय एचपीपीसीएल के पक्ष में हुआ है, जबकि वन स्वीकृति के मामले में एनजीटी द्वारा निर्देश दिया गया है कि मामले को न्याय अधिकारी की उपस्थिति में ग्रामसभा के समक्ष रखा जाएगा। ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने की तिथि से तीन माह के अंदर संपूर्ण कार्यवाही पूरी की जाएगी। तत्पश्चात, एचपीपीसीएल इसकी रिपोर्ट एनजीटी को प्रस्तुत करेगा। एचपीपीसीएल द्वारा एनजीटी के निर्णय को चुनौती देने वाला आवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसे अब हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देश पर दिनांक 08.09.2016 को वापिस ले लिया गया है।
4	शाहपुरकंडी, सिंचाई विभाग, पंजाब एवं पीएसपीसीएल 3x33+3x33+1x8=206 मेगावाट	पंजाब	- पंजाब एवं जम्मू व कश्मीर सरकार के बीच के अंतर-राज्य विवादों के कारण दिनांक 30.08.2014 को बांध का कार्य (जेएंडके की तरफ का) रुका।
5	पोलावरम पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (12x80 = 960 मेगावाट)	आंध्र प्रदेश	- वित्त संबंधी बाधाओं के कारण कार्य की धीमी प्रगति। - एमओईएफ की इच्छानुसार,सुरक्षात्मक तटबंध के निर्माण के लिए जन सुनवाई ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में की जानी है।
6	थोटियार केएसईबी 1x30+1x10=40 मेगावाट	केरल	- कार्य नवंबर, 2015 से लगभग पूरी तरह से रुका हुआ है। संविदाकार ने अपनी वित्तीय कठिनाई के कारण परियोजना के फोर क्लोजर का प्रस्ताव भेजा है तथा इससे संबंधित विस्तृत नोट अनुमोदनार्थ बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। फोर क्लोजर का निर्णय लिया गया है तथा शेष कार्य खुली निविदा अथवा ओरंगल लेबर कांट्रैक्ट कॉर्पोरेटिव सोसायटी जैसी सरकार से अनुमोदित निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से करवाने का पुनः प्रबंध किया जाए।
7	पल्लीवसल केएसईबी 2x30=60 मेगावाट	केरल	- कार्य नवंबर, 2015 से लगभग पूरी तरह से रुका हुआ है। संविदाकार ने अपनी वित्तीय कठिनाई के कारण परियोजना के फोर क्लोजर का प्रस्ताव भेजा है तथा इससे संबंधित विस्तृत नोट अनुमोदनार्थ बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। फोर क्लोजर का निर्णय लिया गया है तथा शेष कार्य खुली निविदा अथवा ओरंगल लेबर कांट्रैक्ट कॉर्पोरेटिव सोसायटी जैसी सरकार से अनुमोदित निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से करवाने का पुनः प्रबंध किया जाए।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट)	राज्य	रुकने का कारण
8	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र सरकार 2x40=80 मेगावाट	महाराष्ट्र	- परियोजना जुलाई, 2015 से रुकी। परियोजना पर वर्तमान व्यय पहले ही लगभग मूल प्रशासनिक अनुमोदित लागत स्तर पर पहुँच चुका है, अतः परियोजना पर व्यय रोक दिया गया है तथा परियोजना कार्य बहुत ही धीमी गति पर चल रहा है। संशोधित लागत पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाना है।
	<b>निजी क्षेत्र</b>		
9	महेश्वर श्री महेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लिमिटेड 10x40= 400 मेगावाट	मध्य प्रदेश	विकासकर्ता से नकद प्रवाह की समस्या के कारण कार्य नवंबर, 2011 से लंबित।
10	तीस्ता-VI लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. 4x125=500 मेगावाट	सिक्किम	अप्रैल, 2014 से लगभग कोई प्रगति नहीं हुई (वित्त संबंधी बाधाएं)।
11	रंगित-IV जल पावर कारपो. लि. (जेपीसीएल) 3x40= 120 मेगावाट	सिक्किम	विकासकर्ता से वित्त संबंधी बाधाओं के कारण कार्य अक्टूबर, 2013 से रुका।
12	पनन हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि. 4x75 = 300 मेगावाट	सिक्किम	एनजीटी स्वीकृति की प्रतीक्षा में, प्रमुख सिविल कार्य अप्रैल, 2014 से प्रारंभ नहीं हो सके।
13	रत्ने जीवीके रत्ने हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा. लि. 4x205+1x30=850 मेगावाट	जम्मू व कश्मीर	दिनांक 11 जुलाई, 2014 से कोई प्रगति नहीं हुई (आरएंडआर मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या, सिन्धु जल संधि इत्यादि)।
14	टंगनु रोमई टंगनु रोमई पावर जेनरेशन 2x22=44 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश	विकासकर्ता ने सूचित किया है कि मुख्य सुरंग में बहुत खराब भू स्थिति होने के कारण परियोजना को कठिनाई हुई जिससे परियोजना विलंबित हुई तथा लागत में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, वित्त संबंधी बाधाओं के कारण जनवरी, 2015 से कार्य रुका।
15	सौरांग हिमाचल सौरांग पावर लि. 2x50=100 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश	जब यूनिट-2 का परीक्षण चलान हो रहा था, तब सरफेस पेनस्टॉक पाइप में दरार होने के कारण दिनांक 18.11.2015 से कार्य रुका हुआ है।

कुल = 15 (5896 मेगावाट)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित परियोजनाएं भी बाधित हैं:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट)	राज्य	बाधित होने का कारण
1	फाटा ब्यूंग मैसर्स लैंको 2x38=76 मेगावाट	उत्तराखंड	- जून, 2013 में अचानक बाढ़ के कारण कार्य प्रभावित। - कार्य की धीमी गति। - समय एवं लागत आधिक्य के कारण उच्च प्रशुल्क।
2	सिंगोली भटवारी मैसर्स एलएंडटी 3x33=99 मेगावाट	उत्तराखंड	- जून, 2013 में अचानक बाढ़ के कारण कार्य प्रभावित। - कार्य की धीमी गति। - समय एवं लागत आधिक्य के कारण उच्च प्रशुल्क।
3	गोंगरी दिरांग एनर्जी प्रा. लि. 2x72=144 मेगावाट	अरुणाचल प्रदेश	प्रवर्तक/ऋणदाताओं से वित्त प्रवाह समस्या के कारण अप्रैल, 2016 के द्वितीय सप्ताह से कार्य रुका। कार्य जुलाई, 2016 में पुनः प्रारंभ हुआ, परंतु वित्त संबंधी बाधाएं अभी भी हैं।
4	रंगित-II सिक्किम हाइड्रो पावर लि. 2x33=66 मेगावाट	सिक्किम	विद्युत निकासी तथा भूमि अधिग्रहण मुद्दों के कारण ऋणदाताओं द्वारा वित्त जारी न करने के कारण कार्य वर्ष 2014 से रुके। विकासकर्ता को परियोजना में इक्विटी डालनी है। इस दौरान, कंपनी का प्रवर्तक "गैम्मन इंडिया लि." सीडीआर के अंतर्गत है। अतः पीएफसी ऋण संवितरण करने में असमर्थ है। विकासकर्ता तथा ऋणदाताओं के बीच बातचीत चल रही है, तथापि, बैंकों द्वारा वित्त का संवितरण अभी नहीं किया गया है। विकासकर्ता ने सितंबर, 2016 से कार्य पुनः प्रारंभ किया।

कुल = 4 (385 मेगावाट)

सकल योग = 19 (6281 मेगावाट)

\*\*\*\*\*

भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-296

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में नियुक्तियां

296. श्री राहुल कस्वां:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंध 79(2) के अंतर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने उक्त बोर्ड में पंजाब राज्य से सदस्य (ऊर्जा) और हरियाणा राज्य से सदस्य (सिंचाई) की नियुक्ति की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या रावी और ब्यास नदियों के अधिशेष जल का 52.69% हिस्सा राजस्थान का है;
- (घ) यदि हां, तो राजस्थान राज्य से सदस्य (ऊर्जा) और सदस्य (सिंचाई) नियुक्त नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या केन्द्र सरकार का राजस्थान से ऐसी नियुक्ति करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क): केंद्र सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के खंड 79(2)(क) के अंतर्गत एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति करती है।

(ख): बीबीएमबी के प्रारंभ होने के समय से, परंपरा के अनुसार, सदस्य (सिंचाई) की नियुक्ति हरियाणा राज्य से तथा सदस्य (विद्युत) की नियुक्ति पंजाब राज्य से की जा रही है।

(ग) से (ङ): यह एक तथ्य है कि रावी और ब्यास नदियों के अधिशेष जल में प्रतिभागी राज्यों में से राजस्थान का हिस्सा सबसे ज्यादा है। राजस्थान से एक पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति के संबंध में, राजस्थान सरकार बीबीएमबी में राजस्थान राज्य से एक पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति के लिए निरंतर अनुरोध करती आ रही है। बीबीएमबी में अतिरिक्त पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति के लिए, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में संशोधन करना पड़ेगा। गृह मंत्रालय इस मामले से अवगत है।

\*\*\*\*\*

भारतसरकार

विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-300

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

भाखड़ा-ब्यासप्रबंधनबोर्डसंबंधीकार्यशाला

300.श्रीरवनीतसिंह:

क्या विद्युतमंत्रालय हबताने की कृपा करेगी कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नांगल, पंजाब स्थित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की कार्यशाला के पास वर्तमान में कोई परियोजना नहीं है और विगत कई वर्षों से इसका कार्य तंत्र बेकाम पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इसके वृहत्परिसर में रेल डिब्बों का विनिर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस राष्ट्रीय परिसंपत्तिका कोई उत्पादनकारी उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीपीयूषगोयल)

(क) : बीबीएमबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बीबीएमबी परियोजनाओं के अनुरक्षण कार्यकलापों के कार्य आदेशों के निष्पादन/फैब्रीकेशन के लिए स्वतंत्र रूप से तथा बीबीएमबी कार्यशाला के आस-पास के क्षेत्र की सहायक इकाइयों की सहायता से बीबीएमबी कार्यशाला, नांगल का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : विगत समय में, नांगल वर्कशॉप में कार्य आदेशों में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए, बीबीएमबी ने नांगल में बीबीएमबी कार्यशाला की अवसंरचना सुविधाओं का उपयोग रेलवे कार्यों के लिए किए जाने के लिए अध्यक्ष, रेलवे मंडल के साथ मामला उठाया था। तथापि, कपूरथला की रेलकोच फैक्ट्री ने प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया। बीबीएमबी में कुशल जनशक्ति में बढ़ोत्तरी होने से, नांगल वर्कशॉप अब विभिन्न कार्यों का निष्पादन एवं फैब्रीकेट करने तथा साथ ही साथ मरम्मत संबंधी कार्य करने की स्थिति में है, जो उनके द्वारा किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*

भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-313

जिसकाउत्तर17 नवंबर, 2016कोदियाजानाहै।

डीडीयूजीजेवाईकेअंतर्गतनवीकरणीयऊर्जाकीआपूर्ति

313.डॉ.शशिशरूर:

क्याविद्युतमंत्रियहबतानेकीकृपाकरेंगेकि:

- (क)क्यामाननीयमंत्रीकोपताहैकिराजीवगांधीग्रामीणविद्युतीकरणयोजना(आरजीजीवीवाई),दीनदयालउपाध्यायग्रामज्योतियोजना(डीडीयूजीजेवाई)केअंतर्गतग्रामीणविद्युतीकरणघटक,ग्रामीणक्षेत्रोंमेंनवीकरणीयऊर्जाकेविकासऔरआपूर्तिकेलिएएकविशेषनीतिउपलब्धनहींकरतीहैऔरयदिहां,तोतत्संबंधीब्यौराक्याहै;
- (ख)क्यासरकारकालघुजलविद्युत,सौरऊर्जाऔरबायोगैससहितनवीकरणीयउर्जास्रोतोंकेउपयोगकोबढ़ानेऔरदेशमेंसमानवितरणकोबढ़ावादेनेऔरनवीकरणीयउर्जाकेउपयोगकोसुदृढ़करनेकेलिएआरजीजीवीवाईकेअंतर्गतघटकोंकोशुरूकरनेकेलिएउपायकरनेकाप्रस्तावहैजिससे 2030 तकदेशकेलक्षितराष्ट्रीयनिर्धारितयोगदान(आईएनडीसी)केनवीकरणीयउर्जासेअधिष्ठापितक्षमताके प्रतिशतनिर्धारितलक्ष्यकोप्राप्तकियाजासके; 40

(ग)यदिहां,तोतत्संबंधीब्यौराक्याहै;और

(घ)यदिनहीं,तोइसकेक्याकारणहैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीपीयूषगोयल)

(क) से (घ) :ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से गांवों/वासस्थलों के विद्युतीकरण के अलावा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, बायोमास, जैव ईंधन, जैव गैस, लघु जल विद्युत, सौर इत्यादि जैसे नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ऑफ ग्रिड/विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी),जहां ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहार्य नहीं है अथवा लागत प्रभावी नहीं होती है, के माध्यम से गांवों/वासस्थलों को विद्युतीकृत करने का प्रावधान है।

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य बढ़ाया है जिसमें सौर से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, जैव ऊर्जा से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत से 5 गीगावाट शामिल है।

अब तक, डीडीजी के अंतर्गत 1470.64 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 4604 डीडीजी परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिनमें 3586 गैर-विद्युतीकृत गांव और 187286 बीपीएल घर शामिल हैं।

दिनांक 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार, डीडीजी के अंतर्गत 518 परियोजनाओं को शुरू किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-321

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

उदयके अन्तर्गत गुजरात में कार्य

321. श्रीमनसुखभाई धनजी भाई वसावा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उदय योजना के अन्तर्गत गुजरात के नर्मदा और भरुच क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में उदय योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) उदय योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीपीयूषगोयल)

(क) से (ग): उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) कोई परियोजना वित्त पोषण स्कीम नहीं है। यह स्कीम राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के वित्तीय तथा प्रचालनात्मक टर्न-अराउण्ड के लिए तैयार तथा प्रारंभ की गई है। इस स्कीम का लक्ष्य ब्याज-भार कम करने, विद्युत की लागत कम करने, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानियों में कमी लाने तथा डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाना है। गुजरात सरकार अपने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक टर्न-अराउण्ड के लिए उदय में शामिल हो गया है।

नर्मदा जिले में कुल 5,90,297 लाभग्राही तथा भरुच जिले में 15,51,019 लाभग्राही लाभान्वित होंगे।

इन जिलों में शुरू किए जाने वाले कार्य में वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग, फीडर मीटरिंग की संस्थापना, एलईडी बल्बों का वितरण, फीडर सुधार आदि शामिल होंगे। अक्टूबर, 2016 तक, भरुच में 721300 बल्बों को तथा नर्मदा में 180324 बल्बों को एलईडी बल्बों से बदल दिया गया है।

\*\*\*\*\*

भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-336

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

**डीडीयूजीजेवाईके अंतर्गत डीडीजी**

**336. श्रीमती कविता कलवकुंतला:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऐसे अविद्युतीकृत गांवों/पर्यावासों जहां ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहारिक नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है को विद्युत प्रदान करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण/निगम के माध्यम से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विकेंद्रीकृत वितरण उत्पादन लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत कितने पर्यावासों को शामिल किया गया है और उनके लिए राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितना आवंटन किया गया है?

उत्तर

**विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

(क) और (ख) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाईके) के अंतर्गत विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) गैर-विद्युतीकृत गांवों/वासस्थलों जहां ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहार्य नहीं है अथवा लागत प्रभावी नहीं है, वहां विद्युत पहुंच प्रदान करने के लिए डीडीजी बायोमास, जैवईंधन, जैवगैस, लघु जल विद्युत, सौर इत्यादि जैसे स्रोतों से हो सकती है।

आज की तिथि के अनुसार, संपूर्ण देश में विभिन्न राज्यों में 4745 गांवों/वासस्थलों को शामिल करते हुए कुल 1470.64 करोड़ रूपए की परियोजना लागत पर 4604 डीडीजी परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। 4604 डीडीजी परियोजनाओं में से 2224 परियोजनाएं स्ट्रैंडअलोन प्रणालियों पर आधारित हैं और शेष छोटी/सूक्ष्म ग्रिड हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में 518 छोटी/सूक्ष्म ग्रिड पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। परियोजना लागत के साथ डीडीजी के अंतर्गत संस्वीकृत वासस्थलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध पर दी गई है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**



लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 336 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

संस्वीकृत डीडीजी परियोजनाएं : राज्य-वार

क्रम सं.	राज्य	कवर किए गए गांव/वासस्थल	परियोजना लागत (लाख रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	427	8788.1
2	असम	521	26670.84
3	अरुणाचल प्रदेश	1176	15173
4	बिहार	175	3784.64
5	छत्तीसगढ़	640	30160.96
6	झारखंड	522	20992.91
7	कर्नाटक	238	4797.62
8	केरल	15	531.83
9	मध्य प्रदेश	333	10504.57
10	मेघालय	212	4278.4
11	ओडिशा	279	9701.69
12	राजस्थान	42	1891.11
13	तेलंगाना	39	925.88
14	उत्तर प्रदेश	103	8026
15	उत्तराखंड	23	836.76
	<b>कुल</b>	<b>4745</b>	<b>147064.31</b>

\*\*\*\*\*

भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-340

जिसकाउत्तर17 नवंबर, 2016कोदियाजानाहै।

केन्द्रीयविद्युतविनियामकआयोग

340.श्रीहरिश्चन्द्रचव्हाणः

श्रीलक्ष्मणगिलुवाः

क्याविद्युतमंत्रीयहबतानेकीकृपाकरेंगेकि:

- (क)क्याविद्युतअधिनियम, 2003 कीधारा 73 मेंकेन्द्रीयविद्युतविनियामकआयोगसंबंधीउपबंधअंतर्विष्टहै;
- (ख)यदिहां,तोउक्तआयोगद्वाराजनहितमेंकिएजानेवालेनिर्धारितकृत्योंकाब्यौराक्याहै;
- (ग)गततीनवर्षोंकेदौरानउक्तआयोगद्वाराजनहितमेंक्याकार्यकिएगएतथाविद्युतवितरणकंपनियोंकेविरुद्धकितनेनिर्णयदि  
एगए;और
- (घ)केन्द्रीयविद्युतविनियामकआयोगकोऔरअधिकप्रभावीबनानेकेलिएक्याउपबंधकिएजानेकाप्रस्तावहै?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीपीयूषगोयल)

(क) और (ख) :जी नहीं, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 प्राधिकरण अर्थात केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के कर्तव्यों से संबंधित है। तथापि, केंद्रीय आयोग से संबंधित प्रावधान विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 से 79 में विहित हैं। अधिनियम की धारा 79 में विहित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के कार्यों के संबंध में प्रावधान अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) :केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने, अधिनियम की अन्य संबंधित धाराओं के साथ पठित धारा 178 के अंतर्गत निर्धारित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए विभिन्न मामलों पर विनियम अधिसूचित किए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों (संशोधनों सहित) की विस्तृत सूची अनुबंध-II में दी गई है।

अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं की तुलना में सीईआरसी के महत्वपूर्ण विनियामक हस्तक्षेप, केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन कंपनियों तथा अन्य उन उत्पादक कंपनियों, जिन्होंने एक से ज्यादा राज्यों में विद्युत उत्पादन तथा विक्रय करने की मिश्रित स्कीम प्रारंभ की है अथवा उनके पास अन्य किसी प्रकार से यह स्कीम है, का प्रशुल्क निर्धारण करने, अंतर-राज्य पारेषण लाइसेंस के रूप में विद्युत पारेषण तथा एक अंतर-राज्य विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का व्यापार करने हेतु लाइसेंस देने, अधिनिर्णय के अधिकार, ग्रिड अनुशासन तथा ग्रिड सुरक्षा, बाजार विकास, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोन्नत करने, ऊर्जा दक्षता को प्रोन्नत करने इत्यादि, के क्षेत्र में हैं।

सरकार ने दिनांक 19 दिसंबर, 2014 को लोक सभा में विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 को पहले ही प्रस्तुत कर दिया है जिसमें विनियामक आयोगों की निष्पादन चूक से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। उपरोक्त विधेयक संसद द्वारा इसके अनुमोदन के बाद ही अधिनियमित होगा।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 340 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के कृत्य

- धारा 79.** (1) केंद्रीयआयोग, निम्नलिखितकृत्योंकानिर्वहनकरेगा, अर्थात्;
- (क) केंद्रीयसरकारकेस्वामित्ववालीयाउसकेद्वारानियंत्रितउत्पादनकंपनियोंकेटैरिफकाविनियमनकरना;
- (ख) खंड (क) मेंविनिर्दिष्टकेंद्रीयसरकारकेस्वामित्ववालीयाउसकेद्वारानियंत्रितउत्पादनकंपनियोंसेभिन्नउत्पादनकंपनियोंकेटैरिफकाविनियमनकरना, यदिऐसीउत्पादनकंपनियांएकराज्यसेअधिकराज्योंमेंविद्युतकेउत्पादनऔरविक्रयकेलिएकोईसंयुक्तस्कीमबनातीहैंयाअन्यथाउनकीऐसीकोईसंयुक्तस्कीमहै;
- (ग) विद्युतकेअंतरराज्यिकपारेषणकोविनियमितकरना;
- (घ) विद्युतकेअंतरराज्यिकपारेषणकेलिएटैरिफअवधारितकरना;
- (ङ) किन्हींव्यक्तियोंकोपारेषणअनुज्ञप्तिधारीऔरउनकीअंतरराज्यिकसंक्रियाओंकीबाबतविद्युतव्यापारीकेरूपमेंकृत्यकरनेकेलिएअनुज्ञप्तिजारीकरना;
- (च) उपर्युक्तखंड (क) केखंड (घ) तकसेसंस्कृतविषयोंकेसंबंधमेंउत्पादनकंपनियोंयापारेषणअनुज्ञप्तिधारियोंकोअंतर्वलितकरनेवालेविवादोंकान्यायनिर्णयनकरनाऔरमाध्यस्थमकेलिएकिसीविवादकोनिर्दिष्टकरना;
- (छ) इसअधिनियमकेप्रयोजनोंकेलिएफीसउद्गृहीतकरना;
- (ज) ग्रेडमानकोंकोध्यानमेंरखतेहुएग्रेडकोडविनिर्दिष्टकरना।
- (झ) अनुज्ञप्तिधारियोंद्वारासेवाकीक्वालिटी, निरंतरताऔरविश्वसनीयताकेसंबंधमेंमानकोंकोविनिर्दिष्टऔरप्रवृत्तकरना ;
- (ञ) विद्युतकेअंतरराज्यिकव्यापारमें, यदिआवश्यकसमझाजाए, तोव्यापारअंतरकोनियतकरना;
- (ट) ऐसेअन्यकृत्योंकानिर्वहनकरनाजोइसअधिनियमकेअधीनसमनुदेशितकिएजाएं।

(2) केंद्रीयआयोग, निम्नलिखितसभीयाकिन्हींविषयोंपरकेंद्रीयसरकारकोसलाहदेगा, अर्थात्:-

- (क) निम्नलिखितसभीयाकिन्हींविषयोंपरकेंद्रीयसरकारकोसलाहदेगा, अर्थात्:-
- (i) राष्ट्रीयविद्युतनीतिऔरटैरिफनीतिकाबनाना;
- (ii) विद्युतउद्योगकेक्रियाकलापमेंप्रतिस्पर्धा, दक्षताऔरमितव्ययिताकासंवर्द्धन,
- (iii) विद्युतउद्योगमेंविनिधानकासंवर्द्धन,
- (iv) सरकारद्वाराकेंद्रीयआयोगकीनिर्दिष्टकोईअन्यविषय।

(3) केंद्रीयआयोग, अपनीशक्तियोंकाप्रयोगऔरअपनेकृत्योंकानिर्वहनकरतेसमयपारदर्शितासुनिश्चितकरेगा।

(4) केंद्रीयआयोग, अपनेकृत्योंकेनिर्वहनमेंधारा 3 केअधीनप्रकाशितराष्ट्रीयविद्युतनीति , राष्ट्रीयविद्युतयोजनाऔरटैरिफनीतिसेमार्गदर्शितहोगा।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 340 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	सीईआरसी विनियम
1	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (चौथा संशोधन)(अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2016
2	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र में लेनदेन के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2016
3	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबद्ध मामले)तृतीय संशोधनविनियम (, 2016
4	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग भारतीयविद्युत ग्रिड संहिताविनियम (चौथा संशोधन)(, 2016
5	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग आदेश (विविध प्रावधान), 2016
6	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग मान्यता के लिए निबंधन एवं शर्तें तथा नवीकरणीय ऊर्जा ) चौ)(उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र को जारी करनाथा संशोधनविनियम (, 2016
7	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं ) विनियम (पाँचवा संशोधन)(शर्तें, 2016
8	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग स्टाफ की सेवा शर्तें), नियंत्रण और नियुक्ति)(तृतीय संशोधन ( विनियम, 2016
9	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विनियम (प्रथम संशोधन)(टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें), 2015
10	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं ) विनियम (चौथा संशोधन)(शर्तें, 2015
11	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगसेवाओ सहायक) ं का प्रचालनविनियम (, 2015
12	परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए असंतुलन नियंत्रण और समय निर्धारण, भविष्य पर फ्रेमवर्क (पवन एवं सौर) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबद्ध मामले)द्वितीय संशोधनविनियम (, 2015 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता)द्वितीय संशोधनविनियम (, 2015
13	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं ) विनियम (तृतीय संशोधन)(शर्तें, 2015
14	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगविनियम (प्रथम संशोधन)(विद्युत प्रणाली विकास निधि) , 2015
15	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगचौथा )(अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों एवं हानियों की हिस्सेदारी) विनियम (संशोधन, 2015
16	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग आदेश (विविध प्रावधान), 2015
17	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग प्रादेशिक भार पारेषण केन्द्र के फीस तथा प्रभार अन्य सहबद्ध ) विनियम (विषय, 2015
18	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अंतरराज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में )

	संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना विनियम (2015
19	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग राज्जिक पारेषण स्कीम -केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता की अंतर) विनियम(प्रथम संशोधन) (के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन, 2015
20	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नतृतीय संशोध)(अंतरराज्जिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2015
21	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तृतीय )(अंतरराज्जिक पारेषण प्रभारों एवं हानियों की हिस्सेदारी) विनियम (संशोधन, 2015
22	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं ) (शर्तद्वितीय संशोधनविनियम (, 2014.
23	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग प्रथम )(विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबद्ध मामले) विनियम (संशोधन, 2014
24	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग मान्यता के लिए निबंधन एवं शर्तें तथा नवीकरणीय ऊर्जा ) (उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र को जारी करनातृतीय संशोधनविनियम (, 2014
25	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग )(परामर्शदाताओं की नियुक्ति)द्वितीय संशोधनविनियम (, 2014
26	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अंतरराज्जिक पारेषण में संयोजकता), दीर्घकालिक पहुंच और मध्यमालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संमद्ध मामले) विनियम (चतुर्थ संशोधन), 2014 अधिसूचना
27	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विनियम (विद्युत प्रणाली विकास निधि), 2014
28	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विनियम (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें), 2014
29	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन प्रथम)(विद्युत बाजार)विनियम, 2014
30	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं ) विनियम (प्रथम संशोधन)(शर्तें, 2014
31	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (दूसरा संशोधन)(भारतीय विधुत ग्रिड संहिता)विनियम, 2014
32	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामलों)विनियम, 2014
33	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विनियम (संशोधन) (कार्य का संचालन), 2013
34	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(अंतर) (राज्जिक पारेषण में निर्बाध पहुंच-दूसरा संशोधन ( विनियम, 2013
35	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के ) लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (दूसरा संशोधनविनियम (, 2013
36	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग -नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण) मान्यता तथा पत्र की उन्हें जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधनविनियम (, 2013
37	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग भर्ती), नियंत्रण और सेवा शर्तेंविनियम (, 2013

\*\*\*\*\*

**भारतसरकार**  
**विद्युतमंत्रालय**

....

**लोकसभा**  
**अतारांकित प्रश्नसंख्या-357**  
**जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।**

**गांवों का विद्युतीकरण**

**357. श्री विनोद कुमार सोनकर:**

**श्री सुनील कुमार सिंह:**

**मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम(से.नि.):**

**श्रीहरीशमीना:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत बिजली प्रदान किए जाने के लिए लक्षित गांवों की संख्या कितनी है और यह लक्ष्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कब तक हासिल किए जाने की संभावना है;
- (ख) डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जिन गांवों में अब तक बिजली प्रदान की गई है, उनकी झारखंड राज्य के चतरा, लातेहार और पलामू क्षेत्रों सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ग) झारखंड राज्य के चतरा, लातेहार और पलामू क्षेत्रों सहित ऐसे गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है, जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है;
- (घ) डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या डीडीयूजीजेवाई की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या अनुबंधित कंपनियों ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है और यदि नहीं, तो इस पर क्या कार्यवाई की जा रही है?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ग) :** राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव थे। इन गांवों में से 10,628 गैर-विद्युतीकृत गांवों को दिनांक 31.10.2016 तक विद्युतीकृत कर दिया गया है। शेष 7824 गैर-विद्युतीकृत गांवों, जिनमें झारखंड का चतरा, लातेहार तथा पलामू क्षेत्र शामिल हैं, में विद्युतीकरण का कार्य मई, 2018 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। राज्यवार ब्यौरें **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

"डीडीयूजीजेवाई" स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 01.12.2014 से 31.10.2016 तक 11,497 गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। गैर-विद्युतीकृत गांवों जिनमें झारखंड का चतरा, लातेहार तथा पलामू क्षेत्र शामिल हैं, के विद्युतीकरण के राज्यवार ब्यौरें **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

**(घ) :** डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, भारत सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए 42391.25 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत (ऑफ ग्रांड परियोजनाओं के लिए 1123.27 करोड़ रुपये सहित) वाली

4501 नई परियोजनाएं (3867 ऑफ ग्रिड/डीडीजी परियोजनाओं सहित) संस्वीकृत की हैं। राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

(ड) : राज्यस्तर पर, प्रगति का निगरानी करने तथा उप-केंद्रों के लिए भूमि के आबंटन, मार्गाधिकार वन-स्वीकृति, रेलवे स्वीकृति, सुरक्षा स्वीकृति आदि जैसे कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है।

जिला स्तर पर, डीडीयूजीजेवाई सहित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा तथा कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए वरिष्ठतम संसद सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता में दिशा नामक जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शासित) बनी हुई है।

नोडल एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) क्षेत्र स्तर पर अपने परियोजना कार्यालयों तथा वेब आधारित मोबाइल एप, 'गर्व' के माध्यम से स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

केंद्र स्तर पर, डीडीयूजीजेवाई संबंधी अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति भी स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय की समीक्षा, आयोजना एवं निगरानी (आरपीएम) बैठक में राज्यों/विद्युत यूटिलिटीयों के साथ मासिक आधार पर प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(च) : परियोजनाओं की वन एवं रेलवे स्वीकृति में विलंब, 33/11 केवी उप-केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) मुद्दों, बीपीएल सूची प्रदान करने में देरी, नक्सल समस्या सहित कानून एवं व्यवस्था संबंधी मुद्दों तथा दुर्गम क्षेत्रों के कारण कुछ राज्यों में डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं को पूरा करने में कुछ देरी हुई है। यदि देरी संविदाकारों के कारण हुई है तो कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा संविदाकारों पर मौजूदा नियमों/धारा के अनुसार दण्ड लगाया जाता है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 357 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में गैर-विद्युतीकृत गांवों, जिन्हें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किया जाना है, की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या) (01.04.2015 की स्थिति के अनुसार)	विद्युतीकृत गांवों की संख्या (31.10.2016 की स्थिति के अनुसार)	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या (31.10.2016 की स्थिति के अनुसार)
1	अरुणाचल प्रदेश	1578	345	1233
2	असम	2892	1731	1161
3	बिहार	2747	2012	735
4	छत्तीसगढ़	1080	521	559
5	हिमाचल प्रदेश	35	28	7
6	जम्मू व कश्मीर	134	32	102
7	झारखंड	2525	1279	1246
8	कर्नाटक	39	7	32
9	मध्य प्रदेश	472	347	125
10	मणिपुर	276	112	164
11	मेघालय	912	658	254
12	मिजोरम	58	38	20
13	नागालैंड	82	22	60
14	ओडिशा	3474	1688	1786
15	राजस्थान	495	346	149
16	त्रिपुरा	26	15	11
17	उत्तर प्रदेश	1529	1436	93
18	उत्तराखंड	76	3	73
19	पश्चिम बंगाल	22	8	14
	<b>कुल</b>	<b>18452</b>	<b>10628</b>	<b>7824</b>

\*\*\*\*\*



**अनुबंध-II**

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 357 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

01.12.2014 से 31.10.2016 में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्य-वार उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण
1	आंध्र प्रदेश	0
2	अरुणाचल प्रदेश	393
3	असम	1773
4	बिहार	2281
5	छत्तीसगढ़	537
6	गुजरात	0
7	हरियाणा	0
8	हिमाचल प्रदेश	28
9	जम्मू व कश्मीर	35
10	झारखंड	1437
11	कर्नाटक	7
12	केरल	0
13	मध्य प्रदेश	363
14	महाराष्ट्र	0
15	मणिपुर	287
16	मेघालय	676
17	मिजोरम	78
18	नागालैंड	32
19	ओडिशा	1700
20	पंजाब	0
21	राजस्थान	391
22	सिक्किम	0
23	तमिलनाडु	0
24	तेलंगाना	0
25	त्रिपुरा	15
26	उत्तर प्रदेश	1449
27	उत्तराखंड	7
28	पश्चिम बंगाल	8
	<b>कुल</b>	<b>11497</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 357 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत राज्य-वार परियोजनाएं

31.10.2016 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत (रुपए करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	181	944.14
2	अंडमान व निकोबार	2	20.96
3	अरुणाचल प्रदेश	1192	418.93
4	असम	548	1540.80
5	बिहार	38	5856.35
6	छत्तीसगढ़	933	1527.78
7	गोवा	2	20.00
8	गुजरात	27	924.72
9	हरियाणा	21	316.07
10	हिमाचल प्रदेश	12	159.10
11	जम्मू व कश्मीर	21	619.53
12	झारखंड	446	3885.23
13	कर्नाटक	62	1754.86
14	केरल	14	485.35
15	मध्य प्रदेश	204	2943.13
16	महाराष्ट्र	37	2163.44
17	मणिपुर	3	54.96
18	मेघालय	216	300.49
19	मिजोरम	8	30.45
20	नागालैंड	10	42.38
21	ओडिशा	299	1751.56
22	पंजाब	20	251.98
23	पुडुचेरी	2	20.15
24	राजस्थान	33	2819.37
25	सिक्किम	4	20.10
26	तमिलनाडु	27	924.09
27	तेलंगाना	10	462.29
28	त्रिपुरा	8	74.12
29	उत्तर प्रदेश	75	6946.44
30	उत्तराखंड	26	845.30
31	पश्चिम बंगाल	19	4262.15
32	दादर व नागर हवेली	1	5.00
	<b>कुल</b>	<b>4501</b>	<b>42391.24</b>

\*\*\*\*\*

भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-364

जिसकाउत्तर17 नवंबर, 2016कोदियाजानाहै।

स्वच्छइलेक्ट्रोकेमिकलप्रक्रियाद्वाराऊर्जा

364. श्रीचामाकुरामल्लारेड्डी:

क्याविद्युतमंत्रीयहबतानेकीकृपाकरेंगेकि:

(क)क्याभारतीयकंपनीब्लूमएनर्जीनेप्रौद्योगिकीमेंसुधारकरविद्युतकोआसानऔरगैर-  
प्रदूषणकारीढंगसेनिर्मितकियाहैऔरयदिहां, तोतत्संबंधीब्यौराक्याहै;

(ख)क्यास्वच्छइलेक्ट्रोकेमिकलप्रक्रियाजिसमेंठोसऑक्साइडईंधनकोशिकाईंधनकोविद्युतमेंपरिवर्तितकरतीहै, यहफॉर्चून  
500 कंपनियोंमेंसे 100 सेअधिकहेतुस्वच्छविद्युतउत्पादितकरतीहैयदिहां, तोतत्संबंधीब्यौराक्याहै;

(ग)क्यासरकारपूजीउन्मुखी,

अलचीलीऔरदीर्घयोजनाअवधिवालीविद्यमानअवसंरचनासेब्लूमऊर्जासर्वरकोअंतरितकरसकतीहै,  
जोकिअत्यधिकलचीलीप्रमापीय, उन्नतयोग्यऔरशीघ्रतैनातीकरनेवालीहै;

(घ)यदिहां, तोतत्संबंधीब्यौराक्याहैऔरइसकीसमय-सीमाक्याहै;

(ङ)यदिनहीं, तोइसकेक्याकारणहैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीपीयूषगोयल)

(क)और (ख) : ब्लूम एनर्जी, जो संयुक्त राज्य आधारित फर्म है, विद्युत उत्पादन की बेहतर दक्षता के साथ स्वच्छ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया के माध्यम से फ्लेक्सी फ्यूल जैसे प्राकृतिक गैस, शुद्धीकृत बायो गैस सहित विद्युत उत्पादित करने के लिए ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल में सुधार करती है तथा ग्रीन हाउस एवं प्रदूषकों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है तथा जैविक घटकों को वाष्पशील बनाती है। ब्लूम एनर्जी की सूची में वेबसाइट पर लगभग 70 उपभोक्ताओं के नाम हैं।

(ग)से (ङ) : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत देश में पहले ही 49.2 लाख फैमिली बायो गैस संयंत्रों तथा बायो गैस रूट के उत्पादन के माध्यम से अवशिष्ट से विद्युत उत्पादन के लिए कुछ संयंत्रों की अवसंरचना मौजूद है। इन कार्यक्रमों के आगामी कार्यान्वयन से इस अवसंरचना में विस्तार हो रहा है। फैमिली बायो गैस संयंत्र ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल (एसओएफसी) के साथ संयोजन के लिए व्यवहार्य नहीं है। एसओएफसी प्रणालियों की तैनाती फीडस्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करती है जो प्राकृतिक गैस; हाइड्रोजन अथवा शुद्धीकृत बायो गैस हो सकती है।

\*\*\*\*\*

भारतसरकार

विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-378

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

साइबर हमले से पावर ग्रिड हेतु सुरक्षा पाय

378. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार का विचार राष्ट्रीय पावर ग्रिडों को साइबर हमले से बचाने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): विद्युत मंत्रालय राष्ट्रीय विद्युत ग्रिडों को साइबर हमलों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एजेंसियों नेशनल क्रिटिकल इन्फार्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) तथा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) से प्राप्त निदेशों के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय ने, अपने अधीन सभी महत्वपूर्ण संगठनों को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाए हैं। आधारभूत सूचना अवसंरचना की सीईआरटी-इन से मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष एजेंसियों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है तथा इसे किसी भी हमले से बचाव के लिए सुदृढ़ किया गया है। पावर ग्रिड तथा पोसोको के महत्वपूर्ण संगठनों को आईएसओ-27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) मानक से प्रमाणित किया गया है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की तैयारी के समन्वय के लिए पारेषण क्षेत्र के लिए सेक्टरल कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-पारेषण) को अभिज्ञात किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारतसरकार  
विद्युतमंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या-380

जिसका उत्तर 17 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

एनटीपीसीके विद्युतसंयंत्रोंद्वारा प्रदूषण

380. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सेक्टर फॉर साइंस एण्ड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए अध्ययन ने प्रकट किया है कि वर्तमान में एनटीपीसी विद्युत संयंत्र अपने विहित मानकों से काफी नीचे कार्य कर रहे हैं और विभिन्न प्रदूषण मानकों पर घटिया निष्पादन कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या एनटीपीसी की बदरपुर संयंत्र को बंद करने की कोई योजना है जो अध्ययन अनुसार सबसे प्रदूषणकारी है और दिल्ली की विद्युत खपत में काफी कम योगदान कर रहा है;
- (घ) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका कारण है; और
- (ङ) एनटीपीसी के अंतर्गत विभिन्न विद्युत संयंत्रों द्वारा वास्तविक उत्सर्जन का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक हेतु विहित मानक और माप दण्ड क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सेक्टर फॉर साइंस एण्ड एनवायरनमेंट (सीएसई) की वर्ष 2015 में प्रकाशित रिपोर्ट देश के 47 विद्युत संयंत्रों का मूल्यांकन दर्शाती है जिसमें एनटीपीसी के मात्र छः विद्युत संयंत्र शामिल हैं।

रिपोर्ट में, कोयला एवं लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत क्षेत्र का औसतन स्कोर 23% था। एनटीपीसी की चार परियोजनाएं निर्धारित औसत से अधिक थी जबकि दो परियोजनाएं औसत से कम निर्धारित थी तथा एनटीपीसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) का उन्नयन करके स्थिति पहले ही सुधार ली है।

(ग) और (घ) : बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र, दिल्ली की आइलैंडिंग स्कीमों में से एक स्कीम का हिस्सा है जो वर्ष 2012 में उत्तरी क्षेत्र ग्रिड के फेल होने के बाद तैयार की गई थी। यदि इस आइलैंडिंग स्कीम का विकल्प तैयार हो जाता है तो इस संयंत्र को बंद किया जा सकता है। इसके लिए तुंगलकाबाद में 400 केवी का सब-स्टेशन तैयार रखना महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से है जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में भूमि उपलब्ध कराई गई है। यह माना गया है कि यह सब-स्टेशन लगभग 20 से 24 माह में तैयार हो जाएगा।

(ङ) : निर्धारित मानकों एवं पैरामीटरों सहित एनटीपीसी के विभिन्न संयंत्रों द्वारा वास्तविक उत्सर्जन का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

लोक सभा में दिनांक 17.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 380 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

परियोजना का नाम	यूनिट सं.	वर्तमान एसपीएम मानदंड	वर्तमान एसपीएम स्तर	टिप्पणियां
बदरपुर टीपीएस	4	50	30	
बदरपुर टीपीएस	5	50	35	
बाढ़-II	4	100	42	
बाढ़-II	5	100	40	
बोंगाईगांव टीपीपी	1	50	45	
दादरी (एनसीटीपीपी)	1	100	88	
दादरी (एनसीटीपीपी)	2	100	62	
दादरी (एनसीटीपीपी)	3	100	89	
दादरी (एनसीटीपीपी)	4	100	71	
दादरी (एनसीटीपीपी)	5	50	32	
दादरी (एनसीटीपीपी)	6	50	38	
फरक्का एसटीपीएस	1	150	128	ईएसपी नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है।
फरक्का एसटीपीएस	2	150	139	
फरक्का एसटीपीएस	3	150	143	
फरक्का एसटीपीएस	4	150	143	ईएसपी नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य शुरू किया जा रहा है।
फरक्का एसटीपीएस	5	150	143	
फरक्का एसटीपीएस	6	75	72	
कहलगांव टीपीएस	1	150	137	ईएसपी नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य शुरू किया जा रहा है।
कहलगांव टीपीएस	2	150	137	
कहलगांव टीपीएस	3	150	137	
कहलगांव टीपीएस	4	150	137	
कहलगांव टीपीएस	5	100	48	
कहलगांव टीपीएस	6	100	45	
कोरबा एसटीपीएस	1	50	113	ईएसपी नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है।
कोरबा एसटीपीएस	2	50	109	
कोरबा एसटीपीएस	3	50	110	
कोरबा एसटीपीएस	4	50	118	
कोरबा एसटीपीएस	5	50	119	
कोरबा एसटीपीएस	6	50	116	
कोरबा एसटीपीएस	7	50	49	
मौदा टीपीएस	1	100	65	
मौदा टीपीएस	2	100	71	
रामागुंडम एसटीपीएस	1	115	86	
रामागुंडम एसटीपीएस	2	115	100	
रामागुंडम एसटीपीएस	3	115	89	
रामागुंडम एसटीपीएस	4	115	110	
रामागुंडम एसटीपीएस	5	115	110	
रामागुंडम एसटीपीएस	6	115	110	
रामागुंडम एसटीपीएस	7	115	87	
रिहंद एसटीपीएस	1	100	40	
रिहंद एसटीपीएस	2	100	45	
रिहंद एसटीपीएस	3	100	86	
रिहंद एसटीपीएस	4	100	88	
रिहंद एसटीपीएस	5	50	43	
रिहंद एसटीपीएस	6	50	45	

परियोजना का नाम	यूनिट सं.	वर्तमान एसपीएम मानदंड	वर्तमान एसपीएम स्तर	टिप्पणियां
सिम्हाद्री	1	115	85	
सिम्हाद्री	2	115	82	
सिम्हाद्री	3	100	66	
सिम्हाद्री	4	100	57	
सिंगरौली एसटीपीएस	1	150	130	ईएसपी नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है।
सिंगरौली एसटीपीएस	2	150	129	
सिंगरौली एसटीपीएस	3	150	139	
सिंगरौली एसटीपीएस	4	150	134	
सिंगरौली एसटीपीएस	5	150	131	
सिंगरौली एसटीपीएस	6	150	136	
सिंगरौली एसटीपीएस	7	150	138	
सीपत एसटीपीएस	1	50	44	
सीपत एसटीपीएस	2	50	42	
सीपत एसटीपीएस	3	50	43	
सीपत एसटीपीएस	4	50	45	
सीपत एसटीपीएस	5	50	44	
तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	1	100	91	
तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	2	100	95	
तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	3	100	92	
तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	4	100	95	
तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	5	100	94	ईएसपी नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है।
तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	6	100	95	
तालचेर एसटीपीएस	1	100	99	ईएसपी नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है।
तालचेर एसटीपीएस	2	100	97	
तालचेर एसटीपीएस	3	100	91	
तालचेर एसटीपीएस	4	100	89	
तालचेर एसटीपीएस	5	100	85	
तालचेर एसटीपीएस	6	100	91	
टांडा टीपीएस	1	150	121	
टांडा टीपीएस	2	150	128	
टांडा टीपीएस	3	150	135	
टांडा टीपीएस	4	150	135	
ऊंचाहार टीपीएस	1	150	149	
ऊंचाहार टीपीएस	2	150	149	
ऊंचाहार टीपीएस	3	150	131	
ऊंचाहार टीपीएस	4	150	125	
ऊंचाहार टीपीएस	5	150	61	
विंध्याचल एसटीपीएस	1	75	138	ईएसपी नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है।
विंध्याचल एसटीपीएस	2	75	140	
विंध्याचल एसटीपीएस	3	75	138	
विंध्याचल एसटीपीएस	4	75	138	
विंध्याचल एसटीपीएस	5	75	137	
विंध्याचल एसटीपीएस	6	75	139	
विंध्याचल एसटीपीएस	7	75	88	
विंध्याचल एसटीपीएस	8	75	92	
विंध्याचल एसटीपीएस	9	75	70	
विंध्याचल एसटीपीएस	10	75	72	
विंध्याचल एसटीपीएस	11	50	47	
विंध्याचल एसटीपीएस	12	50	48	
विंध्याचल एसटीपीएस	13	50	49	

\*\*\*\*\*